खण्ड-464, अंक-2
बुधवार, 07 आषाढ़, शक संवत् 1929
(28 जून, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रदेश में हड्डी आदि से देशी घी बनाये जाने विषयक नियम-311 की सूचना को पहले लिए जाने की मांग	1
विधान सभा की कार्यसूची में प्रश्नों के न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	1
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	2
कानपुर निवासी क्रिकेटर स्व0 सुभाष दीक्षित के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	2-3
प्रतापगढ़ के गड़वारा क्षेत्रान्तर्गत अमेठी प्रतापगढ़ क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	3
जनपद कुशीनगर के ग्राम प्रधान गठिया स्व0 राजेश तिवारी हत्याकाण्ड की जांच सिविल पुलिस/एस0टी0एफ0 से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	3-4
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पलवाडा के जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	4
बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत मनियर में पेयजल समस्या के निदान हेतु टंकी से पानी सप्लाई बहाल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद खीरी में मायावती कन्या इण्टर कालेज दाऊदपुर के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	4-5
जनपद कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत कप्तानगंज, रामकोला एवं लक्ष्मीगंज चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	5
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	5-6
विधान सभा में दिनांक 26 फरवरी, 2007 को पूर्व विधायकों को पेंशन सुविधा आदि के सम्बन्ध में पारित विधेयक को श्री राज्यपाल द्वारा मंजूरी न दिये जाने व वर्तमान सरकार द्वारा उस विधेयक को समाप्त किये जाने का प्रकरण विचाराधीन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	6-8

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखीमपुर खीरी के असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना योजनान्तर्गत अनुदान अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	9-10
जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा हाजी अब्दुल समद अंसारी, सदस्य विधान सभा से फोन पर अभद्र और अमर्यादित व्यवहार किये जाने विषयक प्रकरण ...	10
जनपद सहारनपुर की गंगोह कोतवाली के इंस्पेक्टर द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स बुला कर श्री इमरान मंसूद, सदस्य, विधान सभा के ऊपर आरोप लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने का प्रयास किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	10-12
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	12-13
कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर आपत्ति	13-17
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर असामाजिक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढ़ग से हमला तथा उक्त विश्वविद्यालय, तत्सम्बन्धी ट्रस्ट एवं श्री मोहम्मद आजम खां पर मुकदमा कायम किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद आज़म खां द्वारा दिनांक 27 जून, 2007 के उपवेशन में नियम-300 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य (जारी)...	17-26
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	26-31
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर असामाजिक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से हमला किये जाने तथा उक्त विश्वविद्यालय, तत्सम्बन्धी ट्रस्ट एवं श्री मोहम्मद आजम खां पर मुकदमा कायम किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद आज़म खां द्वारा दिनांक 27 जून, 2007 के उपवेशन में नियम-300 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य	31-32
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	32-61
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 (पारित)	61-72
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	72-79
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	79-85
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	85-86

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 28 जून 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 363

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अजय तोमर, डा0	बागपत	अयोध्या पाल सिंह, श्री	फतेहपुर
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अजय यादव, श्री	एटा	अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अजय सिंह, श्री	जालौन	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा	अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर	अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अब्बास अली जैदी उर्फ सब्दी मियां, श्री	फैजाबाद	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
		आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर

आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाऊद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह, दीपक यादव, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद आज़म खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह,	
कुं0 राजा भैय्या, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेशधर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़

राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ
विद्या सागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया

शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्री भगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट- आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में हड्डी आदि से देशी घी बनाये जाने विषयक नियम-311 की सूचना को पहले लिए जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक अति संवेदनशील मुद्दे पर जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था लगी हुई है, करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। मान्यवर, जिस तरह से देशी घी के नाम पर जानवरों की चर्बी और हड्डी मिलाकर बेचा जा रहा है...

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, आप नियम-56 में सूचना दिये हैं, उसको सुन लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नियम-311 में दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उसको नियम-56 में सुन लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, उसको पहले सुनिये 311 में।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, उसको ले लिया गया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ठीक है, आपका जो आदेश होगा। आप उसको ले लें पहले ले लें।

विधान सभा की कार्य-सूची में प्रश्नों के न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्या के सम्बन्ध में प्रदेश की समस्या के सम्बन्ध में प्रश्न डाले हैं। कल और आज दोनों एजेण्डे में एक भी प्रश्न नहीं आया। श्रीमन्, ऐसा नहीं है कि प्रश्न समय से नहीं डाले गये। अगर सरकार इसकी उपेक्षा न करती अगर विभागीय मंत्री उसका उत्तर दे देते तो प्रश्न के जवाब आने लगते, प्रश्नकाल भी पूछा जाने लगता। श्रीमन्, ऐसा लग रहा है कि सरकार अगर इस तरह से उपेक्षा करेगी प्रश्नों की तो सत्र में प्रश्नों के जवाब ही नहीं आयेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिस दिन प्रश्न लगायें एक निश्चित दिन के अन्दर विभाग उसका जवाब दे दें ताकि उसका उत्तर सदन में आ सकें और माननीय सदस्य अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसको दिखवा लें यह गम्भीर है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जून, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर निवासी क्रिकेटर स्व0 सुभाष दीक्षित के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री ब्रजेश सौरभ की प्रतापगढ़ के गढ़वारा क्षेत्रान्तर्गत अमेठी प्रतापगढ़ क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर के ग्राम प्रधान मठिया स्व0 राजेश तिवारी हत्याकाण्ड की जांच सिविल पुलिस/एसटीएफ से कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पलवाड़ा के जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदलवाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री श्रीभगवान पाठक की बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत मनियर में पेयजल समस्या के निदान हेतु टंकी से पानी की सप्लाई बहाल करने के सम्बन्ध में, छठी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की मायावती कन्या इण्टर कालेज दाऊदपुर, जनपद खीरी के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत कप्तानगंज, रामकोला एवं लक्ष्मीगंज की चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

डा0 पी0 के0 राय की सूचना को छोड़कर स्वीकृत उपरोक्त सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

कानपुर निवासी क्रिकेटर स्व0 सुभाष दीक्षित के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[अध्यक्ष महोदय, विगत 9 जून, 2007 को देश के प्रतिभावान क्रिकेटर सुभाष दीक्षित पुत्र श्री आर0 पी0 दीक्षित निवासी 13/205, परमिट, कानपुर ने ग्रीन पार्क चौराहा स्थित कृष्णा टावर के छठी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली 22 वर्षीय प्रतिभावान क्रिकेटर था। बल्लेबाजी में लगभग 42 रन के औसत और बेहतरीन गेंदबाज के साथ व सिर्फ अण्डर 15, अण्डर 19 और अण्डर 22 टीम में उ0 प्र0 में खेलता रहा था। बल्कि उसने वर्ष 2000 में अपनी कप्तानी में अण्डर 15, एशिया कप (मलेशिया) जीतने के साथ भी वर्ल्ड कप (इग्लैण्ड) क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, भारतीय जूनियर टीम का नेतृत्व भी किया था। इरफान पठान, मो0 कैफ,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पार्थिव पटेल जैसे क्रिकेटर उसकी कप्तानी में या उसके साथ खेले थे। लेकिन वर्ष 2002 में नाबाद 147 रनों की अन्तिम पारी खेलने के बाद किन्हीं कारणों से उसे न्यायोचित अवसर नहीं मिले।

परिस्थितियोंवश सुभाष दीक्षित अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर सके। जिसके कारण अवसादग्रस्त होकर इस होनहार नौजवान ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से क्रिकेट खेल प्रेमियों एवं आम जनमानस में शोक व्याप्त है। इस घटना के पश्चात् दुर्भाग्य से उसके परिवार अथवा शुभ चिन्तकों के द्वारा उसकी सहायता हेतु उठायी गयी मांग की सुनवायी नहीं हो सकी। कानपुर में बड़ी संख्या में इस हेतु धरने-प्रदर्शन किये गये एवं कुछ लोगों के द्वारा सहायता का आश्वासन दिया गया।

अतः इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी सुभाष दीक्षित अविवाहित बहन एवं मां जिसका पालन पोषण का एक ही सहारा था अब चूंकि उसकी मृत्यु के पश्चात् परिवार का अन्य कोई सदस्य उनके भरण-पोषण हेतु नहीं है। अतः विश्व स्तरीय क्रिकेटर सुभाष दीक्षित के परिवार की सहायता हेतु अविवाहित बहन के लिए योग्यतानुसार कोई सरकारी नौकरी एवं 15 लाख रुपये की सरकारी सहायता की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के गढ़वारा क्षेत्रान्तर्गत अमेठी प्रतापगढ़ क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बृजेश सौरभ-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गड़वारा, जनपद-प्रतापगढ़ से होकर जाने वाली रोड अमेठी, प्रतापगढ़ अत्यन्त जर्जर एवं खराब हो गयी है। अमेठी का जो हिस्सा है वह अच्छी हालत में है। शेष प्रतापगढ़ जनपद में आने वाले भाग की हालत खराब होती जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए अमेठी प्रतापगढ़ मार्ग को बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के ग्राम प्रधान मठिया स्व0 राजेश तिवारी हत्याकाण्ड की जांच सिविल पुलिस/एसटीएफ से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26-06-07 की प्रातः 8.15 बजे श्री राजेश तिवारी ग्राम प्रधान मठिया श्रीराम तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर की सिसवा दीगर बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गयी। राजेश तिवारी उम्र 38 वर्ष एक लोकप्रिय प्रधान, गरीबों, दलितों के विकास के लिए संघर्ष करते थे। प्रधान संघ विकास खण्ड सेंवरही के अध्यक्ष थे। इनकी हत्या में पेशेवर हत्यारों को कुछ बड़े सफेद पोश लोगों का भी संरक्षण रहा है। मठिया श्रीराम गांव के गरीब एवं दलित दहशतजदा हैं एवं प्रशासन से उन्हें सुरक्षा की उम्मीद नहीं रह गयी हैं। घर छोड़कर अन्यत्र

जाने के लिए विवश हो रहे हैं। घटना के षड़यन्त्रकारी सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने के लिए प्रयासरत है, जिससे शीर्ष न्याय नहीं मिल पायेगा।

सरकार से मांग है कि जनहित में शीर्ष न्याय हेतु राजेश तिवारी हत्याकाण्ड की जांच सिविल पुलिस/एस0टी0एफ0 से ही कराने के आदेश देकर अपराधियों को शीघ्र सजा एवं उक्त गांव के गरीबों के जानमाल की रक्षा करे। राजेश तिवारी हत्या की घटना तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व की है एवं शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पलवाड़ा के जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[अध्यक्ष महोदय, गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत विभाग के द्वारा ट्रान्सफार्मर को बदलने व नया स्थापित करने आदि की अनदेखी की जा रही है। ग्राम पलवाड़ा का ट्रान्सफार्मर कई महीनों से फुंका हुआ है। ग्राम के नागरिक विद्युत विभाग के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। कहा जा रहा है कि बिना रिश्वत के नहीं बदला जायेगा। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत मनियर में पेयजल समस्या के निदान हेतु टंकी से पानी की सप्लाई बहाल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीभगवान पाठक-

[अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया में नगर पंचायत मनियर में बनी पानी की टंकी खराब है वहां पर एक टंकी बन कर तैयार है परन्तु उससे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्षेत्रीय जनता लगभग सात वर्ष से टैक्स जमा कर रही है। क्षेत्रीय जनता को पानी की सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय नगर विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षेत्र में पानी की सप्लाई चालू करने की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी में मायावती कन्या इण्टर कालेज दाऊदपुर, के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

[अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड बिजुआ में शासन द्वारा असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना योजनान्तर्गत कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु मायावती कन्या इण्टर कालेज, दाऊदपुर, न्याय पंचायत असाढ़ी, विकास खण्ड-बिजुआ, जिला-लखीमपुर-खीरी का प्रस्ताव जिला समिति खीरी द्वारा

अनुमोदित होकर पत्रावली समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु शिक्षा अनुभाग-8, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ में लम्बित है। अनुदान अवमुक्त न होने के कारण शासन की योजना के अनुसार विद्यालय की स्थापना होने में विलम्ब हो रहा है जिससे क्षेत्र के छात्र/छात्राएं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं जिससे क्षेत्रीय अभिभावकों एवं जनता में आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र में उपरोक्त इण्टर कालेज की स्थापना होना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक हित के अविलम्बनीय विषय मायावती कन्या इण्टर कालेज, दाऊदपुर, न्याय पंचायत असाढ़ी, विकास खण्ड-बिजुआ, जिला-लखीमपुर-खीरी के निर्माण किये जाने हेतु अनुदान स्वीकृति की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत कप्तानगंज एवं लक्ष्मीगंज की चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर के किसान पूर्णतः गन्ने पर ही निर्भर हैं, वर्तमान में धान की रोपाई, बच्चों की शिक्षा, परिवार कर भरण-पोषण सब कुछ गन्ने की फसल की आमदनी पर ही निर्भर है। परन्तु मेरे क्षेत्र की कप्तानगंज, रामकोला एवं लक्ष्मीगंज की चीनी मिलों पर किसानों का पचासों करोड़ रुपये बकाया है। जैसे कि निजी चीनी मिल कप्तानगंज पर 14 करोड़, निजी चीनी मिल रामकोला पर 16.5 करोड, निगम की रामकोला खेतान चीनी मिल पर 7 करोड़, निगम की लक्ष्मीगंज चीनी मिल पर 7 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, गन्ना किसान आन्दोलित हैं तथा उनमें काफी रोष व्याप्त हो गया है। भुगतान में विलम्ब से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। उपरोक्त बकाया राशि वर्तमान सत्र का ही होने के कारण यह विषय तात्कालिक है अविलम्बनीय लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाते हुए गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28-6-2007 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल दो सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री नरेश अग्रवाल की 26 फरवरी, 2007 को विधान सभा में पूर्व विधायकों की सुविधा पेंशन आदि के सम्बन्ध में पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी न दिये जाने व वर्तमान सरकार द्वारा उस विधेयक को समाप्त किये जाने का प्रकरण विचाराधीन होने से उत्पन्न

स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की शासन द्वारा जनपद लखीमपुर के असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना योजनान्तर्गत अनुदान अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है।

विधान सभा में दिनांक 26 फरवरी, 2007 को पूर्व विधायकों को पेंशन सुविधा आदि के सम्बन्ध में पारित विधेयक को श्री राज्यपाल द्वारा मंजूरी न दिये जाने व वर्तमान सरकार द्वारा उस विधेयक को समाप्त किये जाने का प्रकरण विचाराधीन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन के तमाम पूर्व विधायकों ने लिखकर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से मांग की थी कि पूर्व विधायकों की स्थिति दयनीय है अतः उनकी पेंशन और उनकी सुविधायें बढ़ाई जायें। श्रीमन्, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष जी के चेम्बर में सभी दलों के नेताओं की जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद निर्णय हुआ था, वह निर्णय विधेयक के रूप में 26 फरवरी को यहां लाया गया था, जिसे पारित कर विधान परिषद् भेजा गया और वह वहां से भी स्वीकृत कर दिया गया। विधान परिषद् की स्वीकृति के बाद श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी के पास इसे भेजा गया, उस समय आचार संहिता लागू हो गयी थी, बाद में महामहिम ने उस विधेयक को बिना मंजूरी के वापस कर दिया। वापसी के बाद इस सरकार ने उसकी सूचना सदन में नही दी। मान्यवर, अगर विधेयक पास हो जाता है, तब भी सचिव, विधान सभा उसकी सूचना सदन को देते है और अगर राज्यपाल उसे पास नहीं करते है तब भी टिप्पणी के साथ उसे दुबारा महामहिम को भेजा जाता है और अगर तब भी स्वीकृत नहीं होता है तो उससे भी सदन को सूचित करना पड़ता है। अभी तक उस विधेयक पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। जो विधेयक के एमेन्डमेंट थे उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और एडवोकेट जनरल की राय के लिये उसे भेज दिया गया और आज भी वह लॉ विभाग में लम्बित है। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फला पूर्व विधायक चाय की दुकान चला रहा है, कोई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है। मान्यवर, कभी भी कोई विधायक पूर्व विधायक हो सकता है, हरदम के लिये वह जीतकर नहीं आया है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, जब उसकी स्वयं की स्थिति इतनी दयनीय होगी तो सेवा भावना की स्थिति क्या होगी ? मान्यवर, सभी लोगों ने इस पर जोर दिया था कि पेंशन आदि की सुविधा बढ़ा दी जाय और यदि कोई पूर्व विधायक अपनी सुरक्षा के लिये अंगरक्षक लेना चाहे तो उसे 10 प्रतिशत खर्च पर दे दिया जाय लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसको गंभीरता से लें क्योंकि यह बात माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में तय हुई थी। जो एमेन्डमेंट हुए थे, उस पर सरकार का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

क्या विचार है, यह कब तक होगा या इसे फिर सदन में लाया जायेगा तो कब तक लाया जायेगा या अगर इसे समाप्त करना चाहते हैं तो उसके कारण तो कम से कम बता दें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, औचित्य प्रश्न पर आपका आदेश हो तो मौखिक भी उठाया जा सकता है। मान्यवर, आप इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी जो चिन्ता है जो यह होने वाले हैं लेकिन मेरी जो चिन्ता है वह उनकी है, जो आज है। मान्यवर, मेरे साथी को याद होगा और आपको भी याद होगा क्योंकि हम आप यहां साथ बैठते थे, उस समय यह तय हुआ था कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को एक करोड़ 25 लाख कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप जब कहें लिखकर दे दूंगा। मुझे सिर्फ यह कहना है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी। सरकार एक अनवरत प्रक्रिया है, मुख्य मंत्री बदल सकते हैं, दल बदल सकते हैं लेकिन सरकार के कमिटमेंट नहीं बदला करते। मेरा सिर्फ एक विनम्र आग्रह यह है कि कल माननीया मुख्य मंत्री जी बजट पेश करेगीं तो विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर एक करोड़ 25 लाख कर दिया जाय ताकि जिससे कल उनको सुविधा हो। मैं तो सिर्फ उनकी सुविधा के लिये कह रहा हूं, अपनी सुविधा के लिये नहीं कह रहा हूं। उनको सुविधा होगी, वह कल अगर इसकी घोषणा कर दें तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई काम नहीं होगा। काफी नये-नये विधायक आये हैं, तमाम वायदे किये होंगे, जिसको देखो वही पूछता होगा कि क्या हुआ और मान्यवर, आपकी भी इच्छा है इसलिए मान्यवर, मैं आपकी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूं, अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी और नसीमुद्दीन जी बैठे हुए हैं, वह हमारा अनुरोध पहुंचा दें कि एक करोड़ पच्चीस लाख रुपए की घोषणा का हम लोग कल इन्तजार करेंगे।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने जो अपनी बात रखी है सिर्फ धनराशि बढ़ाने की बात नहीं है क्योंकि मान्यवर, पिछले दिनों में काफी सामानों के रेट काफी बढ़ गये हैं। जैसे सीमेंट के रेट दुगने हो गये हैं, इसलिए निश्चित धनराशि से जितना काम पहले हो जाता था अब उतना काम नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिस हिसाब से मंहगाई बढ़ी है उसके हिसाब से चिन्तन कर लें, बस यही मैं कहना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा, शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक नरेश अग्रवाल ने पूर्व विधायकों की पेंशन और 10 प्रतिशत खर्च पर गनर प्राप्त करने का सवाल उठाया है तो मैं अग्रवाल जी को और माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा ऐसे निर्देश दिये गये हैं कि 10 प्रतिशत खर्च पर पूर्व विधायक गनर प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन का जहां तक सवाल है निश्चित रूप से जो विधान सभा के अन्दर चर्चा हुई थी और विधान सभा का जो मत था और पूर्व विधायकों की पेंशन जो बढ़ाई गयी है, उससे हम सहमत हैं और हम तो चाह रहे हैं कि उसमें और कोई वृद्धि हो, उनको और सुविधा दी जाएं। इस पर सरकार विचार कर रही है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और जहां तक सवाल नियम-300 में आने का है तो यह विषय नियम-300 में नहीं आता है, इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप अपने कक्ष में नेताओं की एक बैठक बुला लें क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने और ज्यादा देने की बात कही है। इसलिए मान्यवर, अगर एक बैठक हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूं लेकिन वह मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। मान्यवर, हमारे संदेश को पहुंचा दीजिएगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कल बजट आ रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो मान्यवर, हम लोग आशा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री सतीश महाना जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, राज्य विधान मण्डल द्वारा कोई विधेयक पारित करके श्री राज्यपाल को अनुमति हेतु भेज देने के बाद यदि वह धन विधेयक नहीं है तो किसी अन्य विधेयक पर श्री राज्यपाल कब और कितने समय में अनुमति देंगे, इसके बारे में भारत के संविधान या प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है। अतः इसमें कोई औचित्य का प्रश्न अन्तर्निहित नहीं है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

लखीमपुर खीरी के असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना योजनान्तर्गत अनुदान अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के असेवित न्याय पंचायतों में कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना हेतु अनुदान की व्यवस्था थी। माननीय अध्यक्ष जी लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ की न्याय पंचायत अषाढ़ी में मायावती कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के लिए अनुदान हेतु पत्रावली समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके जिला समिति द्वारा संस्तुति कर शासन को भेजी गयी और शासन ने दुर्भावना से प्रेरित हो करके उस पत्रावली को निरस्त किया। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, उसमें वह कोई कारण नहीं बता पाये कि क्यों निरस्त किया गया ? उसके बाद उसे बहाल करने के दिशा-निर्देश दिये गये। मैं चाहता हूं कि जिस पत्रावली को रोका गया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसे स्वीकृति प्रदान करके उस पिछड़े जनपद के पिछड़े क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के लिए अनुमति दी जाए क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में कक्षा-11 और 9 में प्रवेश की बहुत बड़ी समस्या है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए इस तरह की जो पत्रावली है उसको न रोका जाए।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह तो आपकी उदारता है कि आप इसे नियम-300 में सुन रहे हैं। किसी भी कोण से, किसी भी दृष्टि से यह नियम-300 में नहीं आता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसको नियम-300 में अग्राह्य करने की कृपा करें। माननीय सदस्य इसको दूसरे नियमों में ले आयें, उस समय इसका जवाब दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

औचित्य का प्रश्न प्रक्रिया नियमावली या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, के निर्वचन या प्रवर्तन से सम्बन्धित होना चाहिये। इस सूचना में ऐसा कोई बिन्दु अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः सूचना अग्राह्य की जाती है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इमरान मसूद जी का एक व्यक्तिगत मामला है, इन्होंने इसकी सूचना नियम-56 में भी दी हैं। अतः कृपया इनको सुन लें।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, आपने औचित्य के प्रश्न पर उस्मानी जी को उदारतापूर्वक सुना। मेरा अनुरोध यह था कि कन्या इण्टर कालेज की बात है तो सरकार से इस पर कुछ निर्देश दिलवा दें। आपका कुछ निर्देश हो जाता तो कृपा हो जाती।

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी जी नये सदस्य है उनकी सूचना को सुन लिया गया और उसे अग्राह्य कर दिया गया है। माननीय सदस्य इसे किसी दूसरे नियम में देंगें तो उस पर विचार होगा। माननीय सदस्य को राय दे दीजिएगा कि और भी नियम है उसमें अपनी सूचना दे देंगें।

जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा हाजी अब्दुल समद अंसारी सदस्य विधान सभा से फोन पर अभद्र और अमर्यादित व्यवहार किये जाने विषयक प्रकरण

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी एक व्यक्तिगत पीड़ा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा मेरे साथ अमर्यादित और अभद्र आचरण किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी ने मेरे साथ फोन पर अभद्र आचरण किया। जनहित का एक कार्य था उस सम्बन्ध में मैंने वार्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन जिलाधिकारी ने वार्ता करने से इंकार कर दिया और यह कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के किसी विधायक व एम0पी0 से बात करने का कोई इंट्रेस्ट नहीं रखती हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, बनारस की निरीह और बेगुनाह लोगों से जुड़ा एक जनहित का मामला था। बनारस में पानी की विकट स्थिति है, उसके लिए विद्युत पोल लगाना था। पानी के संकट को देखते हुए मैंने बात करनी चाही थी लेकिन ऐसा आचरण किया जो मर्यादित नहीं था। अतः मेरा अनुरोध है कि जिलाधिकारी वाराणसी के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का यह सम्मानित सदन निर्णय ले।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला था इसको सुन लिया गया है। इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। इसको दिखवा लें जिससे किसी जनपद में इस तरह की स्थिति न हो।

जनपद सहारनपुर की गंगोह कोतवाली के इंस्पेक्टर द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स बुला कर श्री इमरान मसूद सदस्य विधान सभा के ऊपर आरोप लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने का प्रयास किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

*श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत मामला है और मैंने इसकी सूचना आज नियम-56 में भी दी है। कृपया करके सुन लें। सहारनपुर जनपद में कानून का राज नहीं है। मैंने एस0एस0पी0 सहारनपुर को बताया कि कस्बा गंगोह कोतवाली के अन्दर एक हिस्ट्रीशीटर कोतवाली चलाने का काम कर रहा है। एस0एस0पी0 महोदय ने आश्वस्त किया था कि कार्यवाही करेंगें और कानून का राज स्थापित करेंगें। गंगोह कोतवाली के इंस्पेक्टर ने एक प्रेस-कांफ्रेंस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बुलाकर यह एलान करने का काम किया और मेरे समर्थकों का नाम लेकर कहा कि उनको जेल भेजने से ये बौखला गये हैं। मान्यवर, जो अपराधी है उसको जेल भेजा जाये। लेकिन मेरे समर्थकों का नाम लेकर मुझे अपमानित करने का काम इंस्पेक्टर द्वारा किया गया तथा आरोप लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने का प्रयास किया गया। मेरा अनुरोध है कि सदन इस पर कार्यवाही करे और ऐसा निर्णय लेने का काम करे जिससे प्रदेश के अन्दर इसकी पुनरावृत्ति होने का काम न हो सके।

*श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, एक बात देखें क्या इंस्पेक्टर को प्रेस कांफ्रेस करने का अधिकार है ? विधायकों के सम्बन्ध में प्रेस कांफ्रेस करने और उनके बारे में सीधी टिप्पणी करने का मामला गम्भीर है। पुलिस रेगुलेशन ऐक्ट में प्राविधान है कि कौन-कौन से अधिकारी प्रेस कांफ्रेस कर सकते हैं। अगर यही हालत रही तो बीट का सिपाही भी कल कहेगा कि हम अपने बीट के मामले में प्रेस कांफ्रेस कर सकते हैं इस मामले में कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि किसी सदस्य के साथ इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष-

हर सदस्यों की गरिमा के लिए सदन है उसी लिए हम लोग यहां बैठे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

पूर्व में इस तरह के मामले हुए हैं जिसमें दोषियों को सदन में तलब किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

किसी भी सदस्य की गरिमा और सम्मान के लिए प्रोटोकाल है। हम सोचते हैं कि उसका अनुपालन हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

सदस्य ने एक सुनिश्चित बात रखी है मैंने एक दूसरा प्रश्न रखा कि क्या पुलिस इंस्पेक्टर को प्रेस कांफ्रेस करने का अधिकार है ? जिनके पास यह अधिकार नहीं है क्या उन्होंने इसके लिए अनधिकृत चेष्टा नहीं की है। इसकी जांच होकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी यह विधायकों के सम्मान की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जैसा आपने निर्देश दिया है सदस्यों का सम्मान निश्चित रूप से किया जायेगा। किसी भी सदस्य के सम्मान के साथ कोई इस तरह की बात आयेगी तो निश्चित रूप से उसमें कड़ाई के साथ कार्यवाही की जायेगी। जहां तक स्पेसेफिक घटना की बात है अभी तो नियम 300 चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यक्तिगत मामला है दो विधायकों के व्यक्तिगत प्रकरण थे इसलिए मैंने अनुमति दे दी। इस पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि विधायकों का अपमान नहीं होने दिया जायेगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 जून, 2007 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायं :-

<u>जून, 2007</u>

28 गुरुवार

1-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)

2-उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)

3-उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)

4-शेष आगामी उपवेशनों का कार्यक्रम यथावत रहेगा।

श्री हुकुम सिंह-

इसकी सूचना अब सदन को दे रहे हैं।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है से सहमत है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने जो कार्य-मंत्रणा की सिफारिश सम्बन्धी सूचना दी है वह तो मानी जायेगी लेकिन मेरा आग्रह यह है आज सरकार को कुछ ऐसे कार्य लेने हैं इसकी कुछ तो जानकारी रहती। कुछ

तो पता रहता। आज की कार्यसूची में भी कार्य-मंत्रणा सिफारिश के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो हमें पता रहता कि यह आज लिया जायेगा। यह तो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है आप ऐसे तो जो विधेयक लेकर आ जाएं पास करा लें और हमें अवसर न दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

कार्यमंत्रणा की बैठक अभी हुई है तो यह कैसे एजेण्डे में आ जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

आज आपको लेना है यह जानकारी रहती तो कुछ तो बोलते इसके ऊपर। विधेयक की कापी इसलिए नहीं लेकर आये कि एजेण्डे में नहीं था। यह वहां होता जब कुछ अपवाद स्वरूप आ जाता है। आप जानकारी देते आज लिया जाना है तो पढ़कर आते।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

अगर पहले पता होता तो इसको पढ़कर आते।

(अनुपूरक कार्य सूची बांटी गयी)

कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी अनुपूरक कार्यसूची बंटवा दीजिए।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, बहुमत से सदन में चाहे जो कुछ किया जा सकता है लेकिन यह बहुमत का दुरुपयोग है। यह पहली बार ऐसा हुआ है। मैं अपने संसदीय जीवन में 1974 से लेकर पहली बार ऐसा सुना हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति के बारे में विपक्ष ने न कहा हो। यह बहुमत का दुरुपयोग है। आप तो दो मिनट में पास करा सकते हैं। विपक्ष को पता नहीं हो कोई संकेत कोई सम्भावना न हो। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है और इधर के मा0 सदस्यों को पता नहीं हो यह मेरा निश्चित मत है कि यह बहुमत का दुरुपयोग है। यह लोकतन्त्र की स्वस्थ्य परम्परा नहीं है। इसलिए मैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कुछ परम्परायें तो रहने दें। मान्यवर, आपसे तो यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप तो इधर रहे हैं। आपको इस पीड़ा का एहसास होगा। यह पीड़ा आगे भी हो सकती है। मान्यवर,

आपको याद होगा जब गुजरी सरकार का आखिरी दिन था यहां, और एक दिन का सत्र बुलाया गया था। उस दिन भी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और न चाहते हुए भी विपक्ष भी इसमें बैठे थे और उन्होंने कार्य-मंत्रणा समिति के फैसलों पर हां कहा था। मैं भी मान्यवर, 1980 से यहां आ रहा हूं। आज 2007 है इन 27 सालों में पहली बार कार्य-मंत्रणा समिति पर पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि कार्य-मंत्रणा समिति पर विपक्ष की एक राय है और मजबूत पक्ष की एक राय है। मजबूत पक्ष का अगर यह मतलब है कि विपक्ष को बगैर किसी इत्तला के कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हो जाए उसमें निर्णय ले लिया जाए तो मैं इसके लिए आपको मुबारकवाद देना चाहता हूं मुबारकवाद इसलिए देना चाहता हूं कि 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' (शोर) मुबारकवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपने उन सारी चीजों की शुरुआत कर दी जो एक ताकत के नशे में मदमस्त को होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया। कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश आयी मैंने उसका प्रस्ताव रखा। उसको पास कराया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं इसके लिए मुबारकवाद दे रहा हूं। इस ऐतिहासिक दौर की शुरुआत का श्रेय आपको जाता है।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आप ऐसा कहेंगे तो यह सही नहीं है। मुझे भी सुन लें आपने सबको सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, मा0 आजम खां और मा0 हुकुम सिंह, दोनों लोग लम्बे समय तक संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि एक विधेयक जो उसी दिन इन्ट्रोड्यूज भी हुआ है और उसी दिन पास भी हुआ है। निश्चित रूप से हमने लोकतांत्रिक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है, यह विधेयक इन्ट्रोड्यूज कल हुआ था और हम आज इसको पास कराने का निर्णय ले रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं भी लोकतांत्रिक परम्पराओं और मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। हमार दिल बड़ा है, सरकार का दिल बड़ा है। यह सरकार लोकतांत्रिक परम्पराओं और मर्यादाओं को पूरी तरह संरक्षण दे रही है और मान रही है। इसलिए कार्य-मंत्रणा समिति की इस सिफारिश को सर्वसम्मति से मानना चाहिए था। यह विधेयक कल सदन में इन्ट्रोड्यूज हुआ था, सर्वसम्मति से कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश को मानना चाहिए था। यह हमारी गलती नहीं है यह सारी उस मानसिकता की गलती है जिन्होंने संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन करने का काम किया है। यदि यह पहली बार हो कि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होने के बाद आज कुछ वैसा किया जा रहा है जो लोकतांत्रिक परम्पराओं के विपरीत है तो मैं इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस सदन में एक ही दिन में विधेयक इन्ट्रोड्यूज भी हुए हैं और पास भी हुए हैं, इसलिए इन दोनों महानुभावों

को ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी अनुमति के आधार पर और कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया है और उस बैठक में विपक्ष के सदस्य भी शामिल थे, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार यह विधेयक आ रहा है और इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसे संशोधन नहीं हैं इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि इनकी जो आपत्ति है उसको निरस्त करने की कृपा करें। ऐसा पहली बार निर्णय नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रवचन हमने सुना, दत्तचित्त होकर सुना। आप हमारे संरक्षक हैं, मा0 हुकुम सिंह और मा0 आजम खां साहब का नाम लिया, ये लोग आपसे कहेंगे, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, सवाल यह नहीं है कि उसी दिन प्रस्तुत हुआ और पारित हुआ। इससे पहले भी हुआ है, प्रत्येक सरकार में इसकी आवश्यकता आती रही है। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर पूरे विपक्ष को विश्वास में लिए बिना बहुमत के आधार पर कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को पारित कराने का काम किया जा रहा है। इतिहास में यह दिन लिखा जायेगा, आप पीठ पर बैठे हैं। आप सुन लें, किसी सूरत में विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर यह किया जा रहा है, यह दुखद है। इस पर कभी वाद-विवाद नहीं हुआ है, लेकिन यह पहली बार ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उस बैठक में विपक्ष के सदस्य भी थे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कब ऐसा हुआ है, कोई अवसर ज्ञात हो तो बतायें, संसदीय कार्य मंत्री जी कृपा करके। विधान सभा का वह काला दिन है कि विपक्ष को कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर 'ना' कहना पड़ा हो। इससे अधिक दुखद कुछ हो नहीं सकता। मा0 अध्यक्ष जी, परम्परायें टूट रही हैं, यह विधेयक के पारित होने का मामला नहीं है। यह कभी लोकतान्त्रिक परम्परा नहीं रही है, यह अनर्थ हो रहा है, इस पर 'हां' करायें, 'ना' न कराइये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मुझे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक के बारे में सूचित नहीं किया गया। मैं भी कार्य-मंत्रणा समिति का सदस्य हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आपकी बात आ गयी है। आप बैठ जाइये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जब कोई सूचना नहीं दी गयी तो मैं कैसे सोच लूं कि विपक्ष को विश्वास में लिया गया है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि कल विधेयक इन्ट्रोड्यूज हुआ हो और आज उसका पारण हो रहा है। ऐसे कई अवसर आये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हमने भी किया है, भाजपा ने भी किया है, औरों ने भी किया है लेकिन सदन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें रखी गयी हों और पूरे विपक्ष ने 'न' कहा हो। यह पहली बार हो रहा है। यह इतिहास न बनने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें दोष आपकी मानसिकता का है कि आपने कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश को न कहा। यह हमारा दोष नहीं है बल्कि आपने उस मर्यादा का उल्लंघन किया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इसकी सूचना नहीं दी गयी।

श्री लालजी वर्मा-

सूचना देना सरकार का काम नहीं है। यह सचिवालय का काम है। मैं पुनः जोर देकर कह रहा हूं कि मैं स्वयं इस बात के लिए गवाह हूं, तारीख और दिन मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसे उदाहरण हुए हैं। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में विरोध हुआ है और बहुमत से वहां से लिया गया है और हाउस में न कहने के बाद भी विधेयक लिए गये हैं। विरोध भी हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप कार्यवाही निकलवा लें अगर 20-25 सालों के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो तो हम अपना पूरा एतराज वापस लेने को तैयार हैं।

(श्री हाजी याकूब कुरेशी के खड़े होने पर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई और उस बैठक में विपक्ष के भी माननीय सदस्य उपस्थित रहे और तब जाकर कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव

लाया गया। तो इसमें काला दिवस वाली बात कहने का कोई मतलब नहीं है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने विचार रखें हैं। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर असामाजिक तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से हमला तथा उक्त विश्वविद्यालय, तत्सम्बन्धी ट्रस्ट एवं श्री मोहम्मद आजम खां पर मुकदमा कायम किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद आज़म खां द्वारा दिनांक 27 जून, 2007 के उपवेशन में नियम-300 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, रामपुर से आख्या मांगी गयी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसकी प्रतियां नहीं मिली हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें दिक्कत यह आ रही है कि प्रश्नकाल नहीं है और प्रश्नकाल होने से 12-01 बजे के बाद तक यह होता रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें उसके कारण थोड़ा दिक्कत आयी है। अगर आप इसको एक घण्टे के लिए स्थगित कर दें। मेरी व्यवहारिक कठिनाई को समझ लें।

श्री अध्यक्ष-

इसको बाद में वितरित करा देंगे। अभी पढ़ लेने दें।

(श्री लालजी वर्मा द्वारा वक्तव्य पढ़ने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पहले कापी मिल जाय।

(वक्तव्य की कापी बंटनी शुरू हो गयीं)

श्री अध्यक्ष-

बटना शुरू हो गया है। आप देखें बंट रहा है।

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, रामपुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 23-6-2007 को जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से थाना-अजीमनगर को सूचना प्राप्त हुई कि निर्माणाधीन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के गेट पर ग्राम आलियागंज के वासियों द्वारा घेराव व प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, अजीम नगर मय फोर्स घटनास्थल (गेट विश्वविद्यालय) पर पहुंचे तो विश्वविद्यालय गेट पर लगभग 400 लोग जिनमें पुरूष, महिलायें व बच्चें सम्मिलित थे, उनके द्वारा नारेबाजी व प्रदर्शन किया जा रहा था। जानकारी किये जाने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 23-6-07 को समय लगभग 15.30 बजे

श्री अबरार पुत्र श्री अब्दुल अली, निवासी ग्राम आलियागंज चारा लेने जौहर विश्वद्यालय के बगल से होकर अपने खेतों पर जा रहा था तो विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मोहम्मद आज़म खां, पूर्व मंत्री और उनके साथी श्री शाहवेज खां पुत्र श्री मिन्ना खां, मोहल्ला चौक, श्री मोहम्मद सईद खां, निवासी कोतवाली, रामपुर विश्वविद्यालय परिसर में अपने अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। उन लोगों द्वारा वहां से गुजर रहे श्री अबरार निवासी ग्राम आलियागंज को रोककर जौहर विश्वविद्यालय परिसर में बुलाकर उससे कहा गया कि तुम लोग विश्वविद्यालय नहीं बनाने देना चाहते हों दीवार तोड़ देते हो, सामान को क्षति पहुंचाते हो, तथा जानवर आदि विश्वविद्यालय में छोड़ देते हो, यह कहते हुए अबरार के साथ मारपीट की गयी। मारपीट के विरोध में ग्राम वासियों द्वारा एकत्र होकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया गया और श्री अबरार को गेट के सामने लिटा दिया गया। मौके पर यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 22-6-07 को शादाब पुत्र अनवार, निवासी ग्राम आलियागंज व इससे लगभग चार-पांच दिन पूर्व श्री मोहम्मद नबी पुत्र बहादुर निवासी ग्राम आलियागंज के साथ भी मा0 पूर्व मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खां द्वारा मारपीट की गयी थी। ये लोग भी प्रदर्शन में मौजूद थे जिन्होने अपनी शिकायतें व चोटें बतायी। श्री अबरार निवासी आलियागंज द्वारा घटना की लिखित तहरीर दिये जाने पर मुख्य आरक्षी हेमराज सिंह व उप निरीक्षक ब्रजराज सिंह द्वारा मजरूबान अबरार, शादाब तथा मो0 नबी को चिकित्सा परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, रामपुर भेजा गया। श्री अबरार की तहरीर पर थाना-अजीमनगर पर एन0सी0आर0 नं0-37/07 धारा 323 भादंवि बनाम श्री आजम खां व श्री शाहबेज खां पंजीकृत किया गया, जिसकी जांच प्रचलित है।

दिनांक 23-6-07 को ही श्री मो0 आज़म खां, अध्यक्ष, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, रामपुर द्वारा एक पत्र भेजा गया जिसमें अंकित किया गया है कि पिछले दो माह में बीसों स्थानों से विश्वविद्यालय की दीवारें तोड़कर रेता, सरिया, बजरी आदि चोरी कर लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चन्द रोज पहले भी बीसों स्थानों से बाउड्रीवाल तोड़ दी गयी थी तथा एक ऐसी जगह से दीवार तोड़ी गयी जहां लाखों रुपये का ट्रान्सफार्मर लगा है, जिसे चोरी कर ले जाने की सूचना है। दिनांक 23-6-07 को लगभग 3.00 बजे सैकड़ों सरपसन्दों ने तबल, भाले, बर्छे, हसिया, लाठी तथा दो नाली बन्दूकों के अलावा देशी कट्टे ले रखे थे, साथ ही कुछ बहुत ही हेकड़ और बदतमीज महिलाओं को भी साथ लाया गया था जिससे सिद्ध है कि यह हादसा योजनाबद्ध था।

इस पत्र को क्षेत्राधिकारी, स्वार तथा थानाध्यक्ष, अजीमनगर को भेजते हुए नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय के आसपास सतर्क दृष्टि रखते हुए शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में अब तक की जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व में की गयी मारपीट के विरोध में ग्रामवासियों द्वारा विश्वविद्यालय के गेट पर एकत्र होकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया गया था किन्तु

मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय में कोई तोड़फोड़/नुकसान नहीं पहुंचाया गया और न ही कोई सामान चोरी किया गया था और न ही श्री मो0 आज़म खां पर कोई कातिलाना हमला हुआ था।

दिनांक 24-6-07 को श्री मो0 आज़म खां, अध्यक्ष, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, रामपुर द्वारा शिकायती-पत्र दिया गया कि लगभग 12.00 बजे ग्राम आलियागंज के असमाजिक और शरारती तत्व जिन्होंने कल हथियारों के साथ भारी मात्रा में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हमला किया था, उसमें कातिलाना हमला भी शामिल था। इस समय यह लोग झुण्ड बनाकर अवैध रूप से विश्वविद्यालय के अन्दर मौजूद हैं और कभी भी इमारतों और कमरों के अन्दर रखे सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इस पत्र को भी क्षेत्राधिकारी, स्वार तथा थानाध्यक्ष, अजीमनगर को भेजकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच से उक्त आरोप सत्य नहीं पाये गये।

उक्त तिथि दिनांक 24-6-07 को विश्वविद्यालय परिसर में कोई भी असामाजिक/शरारती तत्व नहीं गये थे।

दिनांक 25-6-07 को भी श्री मो0 आज़म खां, अध्यक्ष, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, रामपुर द्वारा शिकायती-पत्र प्रेषित किया गया कि ग्राम आलियागंज और शौकतनगर के कुछ असामाजिक तत्व विश्वविद्यालय परिसर में बेखौफ होकर घूम रहे हैं और उनके द्वारा अपने जानवरों को विश्वविद्यालय परिसर में छोड़ दिया गया है, जो पौधों आदि को क्षति पहुंचा रहें हैं। उक्त पत्र में विश्वविद्यालय की इमारतों में रखा हुआ कीमती सामान चुराये जाने की सूचना दी गयी है।

जांचोपरान्त शिकायती-पत्र दिनांक 25-6-07 में भी अंकित तथ्यों की पुष्टि होना नहीं पाया गया।

दिनांक 26-6-07 को भी श्री मो0 आज़म खां, अध्यक्ष, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, रामपुर द्वारा शिकायती-पत्र प्रेषित किया गया कि ग्राम शौकतनगर व आलियागंज के कुछ असामाजिक तत्व उनकी हत्या कर देना चाहते हैं।

इस शिकायती-पत्र में भी दिनांक 23-6-07 की घटना को बढ़ा-चढ़ा कर अंकित करना पाया गया है। शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि अब तक की जांच/विवेचना से नहीं हुई है।

दिनांक 16-6-07 को वादी श्री शाहवेज खां पुत्र श्री मिन्ना खां, निवासी मोहल्ला चौक, श्री मोहम्मद सईद खां थाना कोतवाली रामपुर द्वारा थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0-548/07 धारा 427,379 भादंवि बनाम 15-20 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत कराते हुए आरोप लगाया कि दिनांक 15/16-6-07 की रात्रि में विश्वविद्यालय की बाउन्ड्रीवाल गिरा दी गयी। इस सम्बन्ध में अब तक

की जांच/विवेचना से ग्रामवासियों द्वारा विश्वविद्यालय की बाउन्ड्रीवाल गिराये जाने तथा सामान चोरी किये जाने सम्बन्धित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है। उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए मौके पर एक उपनिरीक्षक को मय पी0ए0सी0 तैनात कर दिया गया है। वर्तमान में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल कुछ समाचार पत्र आपकी खिदमत में पेश किये थे, उसकी फोटो कापी भी थे, कुछ ओरिजनल भी थे। हम समाचार पत्रों को भी एक मजबूत माध्यम मानते रहे हैं और उनकी बातों को बहुत हद तक सही भी माना है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा है वह। आपके पास होंगे कल के सारे अखबार जिसमें बड़े अखबार, स्थानीय अखबार नहीं, लोकल नहीं, शहर की हद तक नहीं निकलते, प्रदेश और देश में चलने वाले मान्यता प्राप्त बड़े समाचार पत्रों ने कातिलाना हमले के बारे में भी लिखा है। आपने फोटोज भी देखे हैं, जिसमें भाले, गड़ासे, बल्लम लिये, लाठी लिये बड़ी तादात में लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं। पथराव भी आपने देखा है, बेशुमार पत्थर पड़े हैं। अब जाहिर है एक तरफ वह खबरें हैं और एक तरफ सरकार का पक्ष है। सरकार ने यह भी कहा है कि दो मौकों पर ऐसा हुआ कि किसी को पीटा गया। मान्यवर, यह नहीं बताया गया कि जिसको पीटा गया, उसे कहां पीटा गया ? क्या गांव के अन्दर या विश्वविद्यालय परिसर में ? यह लोग विश्वविद्यालय परिसर में कहां से दाखिल हुए ? किस अधिकार से दाखिल हुए, जमीनों के मालिक हैं। काम करते हैं, लेक्चरर हैं रीडर हैं, छात्र हैं, किस हैसियत में वहां थे ? यह मेरा कहना है कि वे ट्रेसपासर्स हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्तव्य के द्वारा सरकार ने हमारे पक्ष को मजबूत किया है। हम पर 323 का मुकदमा कायम किया गया ठीक है। लेकिन यह साबित हुआ है कि दीवारें तोड़ी गयी हैं। वक्तव्य से यह साबित हुआ है कि वे विश्वविद्यालय में थे उन्होंने सामान चोरी किया है। उनका कोई अधिकार नहीं है इस विश्वविद्यालय में जिसकी इतनी बड़ी दीवारें हों, भव्य बाउन्ड्रीवाल हो। यह आप देखें इतनी भव्य दीवारें हैं जहां इंजीनियरिंग कालेज बन रहा हो। मान्यवर, जिसकी ढाई सौ एकड़ नदी के किनारे जमीन हो जिसकी भव्य इमारते हों। जो बन चुकी हैं लगभग 80 प्रतिशत बन चुकी है, कुछ शत प्रतिशत बन चुकी हैं। दो भव्य इमारतें हैं उनको तोड़ा गया है। सामान चोरी हुआ है। सरकार ने इसमें खुद माना है कि उन लोगों को पीटा गया है। लेकिन कहां विश्वविद्यालय के अंदर। यह बात सही मान ली जाय। मेरा भी तो यही कहना है। दीवारें तोड़कर विश्वविद्यालय में दाखिल होना इसमें बताया गया है। यह विश्वविद्यालय बच्चों की हिफाजत के लिये बनाया जा रहा है और किसी शख्स को दीवारों के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं दी जायेगी। भविष्य में भी नहीं दी जायेगी आपके लाख षड़यंत्र हों। आप लाख दीवारें तुड़वायें। अब इजाजत नहीं दी जायेगी। लेकिन कानून व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आज यह बिल्कुल असत्य बात है, पुलिस और पी0ए0सी0 वहां नहीं है, कोई पेट्रोलिंग नहीं है। जहां इतना

बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ हो, बन गया हो, ऐसी घटनायें होना इस विश्वविद्यालय के साथ मान्यवर बड़ा पाप है। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि इसका भविष्य क्या होगा ? मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होगा ? यह खून की बूंदों से बन रहा है। एक-एक रुपये के डोनेशन से बन रहा है।

(हाजी याकूब कुरैशी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपको इजाजत नहीं है। आप बैठ जायें। माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें।

श्री मो0 आज़म खां-

मात्र इतना कहना है, आपने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल कहा था कि इंसाफ होगा। मैं मानता हूं कि इंसाफ होगा लेकिन उस इंसाफ का कोई प्रोसीजर तो होगा। हमारी अदालतें कैसे उसमें इंसाफ करेंगी वह तभी करेंगी जब कोई रिपोर्ट लाज होगी और उसकी जांच होगी। आपने कहा है कि 16 तारीख को एक रिपोर्ट लिखी गयी। आपने इसमें एक नाम का उल्लेख किया है यह दीवारें बनाने वाला ठेकेदार है। उसके नाम ट्रस्ट की तरफ से चेक काटे जाते हैं। दीवारें गिरी हैं तो रिपार्ट वही लॉज करायेगा। मेरे पक्ष को आपने माना है कि 16 तारीख की रिपोर्ट है। फिर 26 तारीख की रिपोर्ट को मानने से क्या इंकार हो सकता है ? आप सौ फीसदी इंसाफ करेंगे इसमें हमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन आप कोई उसका प्रोसीजर तो अख्तियार करेंगे, रिपोर्ट लॉज करेंगे, मुकदमा कायम करेंगे, आप एफ0आई0आर0 की रिपोर्ट लिखवायें। आप अगर झूठी बात हो तो हमारे खिलाफ इल्जाम लगाकर रिपोर्ट लिखवा दें, मुकदमा कायम करा दें। यह मान्यवर, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें किसी से कुछ नहीं मांगा है सिर्फ कमजोरों से मांगा है। उस विश्वविद्यालय को बर्बाद नहीं होने दिया जाय। उसके भविष्य के बारे में कोई मजबूत फैसला लें। 26 तारीख को उस हमले के बारे में मान्यवर रिपोर्ट कायम होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने स्वतः माना है कि बाउन्ड्रीवाल तोड़ने के लिए हमने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि 15/16 में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। मान्यवर, एक घटना की एक ही रिपोर्ट दर्ज होगी। बाउन्ड्रीवाल टूटी उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गयी। जहां तक मारपीट का सवाल है मान्यवर, यह जांचों में जो अभी तक की जांच है उसमें आपके जो पत्र हैं लगातार 23, 24, 25 और 26 को प्राप्त हुए हैं उसकी जांच जिन लोगों ने जिन अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है उन्होंने उस घटना में मारपीट का होना नहीं पाया। जहां तक सुरक्षा का सवाल है अगर आप कहेंगे कि वहां पर उपनिरीक्षक या पीएसी तैनात नहीं है, मैं इस बात को चूंकि वक्तव्य में है, निश्चित रूप से हम इसको सुनिश्चित करेंगे इस बात को कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की पूरी व्यवस्था हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 16 तारीख को जो रपट कायम हुई दीवारें गिराने की उस पर जांच हुई और पुलिस ने रिपोर्ट लगा दी कि दीवारें नहीं गिरीं, चलिए नहीं गिरी लेकिन रपट कायम हुई। यही मेरा कहना है कि जिस तरह से 16 तारीख की वाक्ये के बारे में गिरी हुई दीवारों के बारे में रिपोर्ट आ गयी कि दीवारें नहीं गिरीं हमने मान लिया, नहीं गिरीं। 26 तारीख की रिपोर्ट आप कायम कर लीजिए और आप फिर यही कह दीजिए कि वाक्या झूठा है और फिर एक मुकदमा झूठी एफ0आई0आर0 कराने का हमारे ऊपर और करा दीजिए जहां 50 मुकदमें झूठे आपने कायम किये वहां एक और सही, मेरा भी सिर्फ यही कहना है। एक मुकदमा आपने कायम किया और यह कहा कि ऐसा नहीं हुआ हमने मान लिया। 26 तारीख को दूसरा वाक्या हुआ जिसके साक्षी सारे समाचार-पत्र हैं। उसकी भी रिपोर्ट आप लाज कर लीजिए फिर आप कह दीजिए कि वाक्या झूठा है, हम मान लेंगे इसमें क्या इतराज है।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब संरक्षक हैं, जितनी व्यथा, पीड़ा उस संस्था से जुड़ी है उन्होंने सब बात रख दिया है, अब बचा क्या है।

माननीय आजम खां साहब ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दिया है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है वह पुलिस अधीक्षक रामपुर की रिपोर्ट है, माननीय आजम खां साहब जी ने भी कहा था और आज भी कहा कि पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। जब वहां की लोकल पुलिस के खिलाफ हम बात कर रहे हैं और उसी की रिपोर्ट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब न्याय हमारे साथ नहीं हो सकता। हमारी इस सदन में कोई बात माननीय सदस्य कहता है तो उस बात को गम्भीरता से माना जाता है यह कई बार हो गया दृष्टान्त कि माननीय सदस्य ने जो बात कहा उसको सच माना गया। श्रीमन्, खाली पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को हम सही मान लें और माननीय उपनेता इस विधान सभा में कोई बात कहें उसको सच न मानें यह कहां तक उचित है। इसके लिए तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि या तो इस सदन की एक समिति बना दें जो वहां चली जाय और निरीक्षण करके रिपोर्ट आपको दे दे या कोई हाई कमेटी हो जो रिपोर्ट दे। खालीमूली पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को अगर आपने सही माना तो इतिहास के पन्ने इसको काले अक्षर में लिखेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आज आप लोग काले रट लिए हैं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण के तौर पर संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसने इसकी जांच की उसी थानाध्यक्ष अजीमनगर ने, उसी सीओ स्वार ने और उसी पुलिस अधीक्षक ने। मान्यवर, जिनके विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की। जिनके विरुद्ध यह आरोप है कि वह शह दिये हुए हैं कि उनके इशारे पर, हमारे उपनेता महोदय ने उसका उल्लेख नहीं किया, मैं भी उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन श्रीमन्, किसी के इशारे पर और सरकार जानबूझ करके स्वयं शह देकर जहां इस बातों को करा रही है। कल यह पूरी बात आयी है जिस पर सरकार को वक्तव्य देने की बाध्यता हुई। श्रीमन्, उन सारी स्थितियों के रहते हुए वही थानाध्यक्ष अजीमनगर वही सीओ स्वार वही जांच करके रिपोर्ट दे दे रहे हैं। यह सरकार रिपोर्ट देना चाहती है और यह सरकार की यह मंशा है कि वह सदन पर विश्वास करे, आप हमारे संरक्षक हैं और कदाचित यह सरकार से स्पष्टीकरण के तौर पर मैं जानना चाहता हूं। मेरा एक स्पष्टीकरण है।

हाजी याकूब कुरैशी-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप व्यवस्था उठा रहे हैं ? कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान के मध्य)

*हाजी याकूब कुरैशी-

मान्यवर, गरीबों की जमीनें जबरदस्ती खरीद कर इसमें करोड़ों रुपया जिस यूनिवर्सिटी को जिसका नाम लिया जा रहा है इसकी एबीसीडी से जेड तक सब मुझको मालूम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब आपको इजाजत नहीं है तो कोई बीच में नहीं बोलेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक जांच का विषय है, विवेचना तो पुलिस अधिकारी ही करेंगे। न्यायालय भी उन्हीं की बात को मानता है। हमारी आपकी जांच को तो कोई दूसरा नहीं मानेगा। इसलिए विवेचना जिस स्तर पर होनी चाहिए, उस स्तर पर हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जिसके विरुद्ध आरोप है, वही विवेचक है। मान्यवर, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। आप जरा थोड़ा सा गुस्सा न हों, भावुक न हों और सारे तथ्यों को देख लें। जांच दी गयी सी0ओ0 स्वार को। स्वारटाण्डा हमारे यहां कांस्टीट्वेंसी है, [xxx]

श्री लालजी वर्मा-

यह बात कहां से आ गयी ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसको निकाल दिया जायेगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य जौहर विश्वविद्यालय पर ही बोलें, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

52 करोड़ किसके लिए कह दिया। आप इससे भी बड़ा विश्वविद्यालय बना दीजिये जिसका मौलाना मोहम्मद अली जौहर से ज्यादा नाम हो, उसी शहर में बना दीजिए।

हाजी याकूब कुरैशी-

और इनको आजीवन चांसलर बना दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास जो कुछ है वह हम जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हम छिपाने वाले लोग नहीं हैं। यह लोग क्या-क्या हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वह छिपाकर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग भी हैं। हमारे पास जो है उसे तो हमने जनता के सामने रखने का काम किया है। कोई चीज छिपाकर नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्न कोई चल रहा है और बात कुछ और कही जाये। मान्यवर, उसी सीमा तक स्पष्टीकरण होना चाहिए। सरकार का पूरा वक्तव्य आ गया, स्पष्टीकरण के लिए एक-दो बिन्दुओं पर आप इजाजत दे सकते हैं। स्पष्टीकरण के माध्यम से कहीं की बात कहीं चली जाए तो यह निश्चित रूप से सदन का कुछ समय जाया करना होगा। जो नियमावली में नियम हैं उनके अनुसार आप जितना चाहें उतना पूछें। आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि सरकार वही कहे जो आप कहलवाना चाहें। निश्चित रूप से हमें जितनी बातें कहनी थीं हमने वक्तव्य के माध्यम से कह दी, आपने स्पष्टीकरण पूछा हमने उसका भी उत्तर दे दिया, इसे बहस के लिए स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए आग्रह है कि इसको बहस का विषय न बनायें जो सरकार का वर्जन था जो हमने जांच किया है, उसको हमने सदन के सामने रखने का काम किया है। आप इसे अन्य नियमों में ला सकते हैं हम उसका संज्ञान लेंगे, आप चर्चा के लिए लायें चर्चा भी हो जाएगी।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने पूरा उत्तर स्पष्ट कर दिया, सुरक्षा के लिए पी0ए0सी0 और पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। विश्वविद्यालय की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो गयी है, सरकार ने पूरा आश्वासन दे दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो आश्वासन सरकार ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब 16 तारीख की रिपोर्ट दर्ज हो गयी और उसमें लिख दिया गया कि यह वाकई बिल्कुल झूठ है तो 26 तारीख की रिपोर्ट लॉज करने में सरकार को क्या परेशानी है ? वही आप कर दें जो आपने 16 तारीख की रिपोर्ट में किया है।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, स्पष्टीकरण हो गया, एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, सरकार ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा के सम्बन्ध में आश्वस्त किया कि पी0ए0सी0 और पुलिस लगा दी गयी है, सुरक्षा का इन्तजाम हो गया है। सरकार का बयान आ गया कि विवेचना हो गयी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, सरकार ने आपके स्पष्टीकरण पर बयान दे दिया, सारी बातें हो गयी हैं इसलिए अब मैं अगला बिन्दु लेता हूं, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक ...

माननीय आजम खां साहब आप कृपया बैठ जाएं, आप बैठेंगे नहीं तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस बारे में आप क्या कहते हैं, जो कार्यवाही हुई वह सही है ?

श्री अध्यक्ष-

विश्वविद्यालय के सम्मान के लिए जो जरूरी था किया गया, मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना हुई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं अध्यक्ष के अलावा एक ऐसे इंसान से जिसे मैं पिछले 15-20 सालों से जानता हूं, उससे पूछ सकता हूं कि क्या स्वयं उसका अपना जमीर मुतमईन है ?

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब, सरकार का वक्तव्य आ गया, जिन-जिन बिन्दुओं पर आपने स्पष्टीकरण चाहा, उनका उत्तर भी आ गया।

(श्री मोहम्मद आजम खां सदन से बाहर जाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आजम साहब इतनी जल्दी गुस्सा न करें, कृपया बैठ जाएं।

(अनुपूरक उत्तरों से असन्तुष्ट होकर श्री मोहम्मद आजम खां सदन से बाहर चले गये। उनके पीछे समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य भी उठकर चले गये।)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जून, 2007 को नियम-311 में प्राप्त 1 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री हुकुम सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री मदन चौहान, श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री सत्यपाल सिंह चौधरी, श्रीमती विमलेश सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कपूर, श्री अजय पाल सिंह, श्री पंकज मलिक तथा श्री संजय कपूर की प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का समुचित भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की प्रदेश में खाद्य विभाग की संलिप्तता से जानवरों की हड्डी एवं चर्बी तथा केमिकल मिलाकर खुला देशी घी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव की भीषण पेयजल समस्या तथा फ्लोराइडयुक्त जल के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद-बस्ती एवं सिद्धार्थनगर को जोड़ने वाले लुम्बिनी-दुद्धी राजमार्ग के 47वें कि0मी0 पर टूटे पुल के वैकल्पिक पैण्टून ब्रिज की 30-6-2007 को समाप्त हो रही समयावधि को जनहित में बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्य श्री इमरान मसूद का एक व्यक्तिगत मामला है जनपद सहारनपुर में प्रभारी निरीक्षक, गंगोह कोतवाली द्वारा मा0 सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाने तथा अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयीं। अतः अस्वीकृत हुई :-

डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री राम किशुन, हाजी जमीरउल्ला खां, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री महेश चन्द्र गुप्ता एवं श्री प्रदीप जैन आदित्य।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना पर पहले सुन लें। केवल 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप हुकुम सिंह जी से अनुमति ले लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। श्री हुकुम सिंह जी राजी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। हमारे सिद्धान्त और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हमारी आस्थाओं और भावना का भी प्रश्न है और गम्भीर अपराध से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच करवा लें। पिछले तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश सहित कुछ प्रदेशों में हड्डी और कुछ केमिकल मिलाकर, चर्बी मिलाकर देशी घी के नाम पर बेचा जा रहा है। यह बहुत ही संगठित गिरोह द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के संरक्षण में पिछले तीन सालों से चल रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसमें लगभग सैकड़ों करोड़ रुपये का काम चल रहा है। अगर आप देखें लगभग तीन क्विंटल हड्डी को पीसकर 30 किलोग्राम दानेदार देशी घी बनाया जाता है। हापुड़ और मेरठ में यह कारोबार चल रहा है। मान्यवर, इसको आसानी से न लें। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इस पर गम्भीरता से ध्यान दें। यह जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। सैकड़ों करोड़ रुपये का धन्धा हो रहा है। तीन क्विंटल हड्डी से 30 किलोग्राम देशी घी बनाया जाता है और रु0 160 से रु0 180 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है, इसको फिल्टर माल कहा जाता है। कोड वर्ड में पूछा जाता है कि कितना माल फिल्टर हुआ अर्थात् कितना माल तैयार है ? इसकी कई क्वालिटी हैं, पीला माल कहा जाये तो इसमें विशेष रूप से दो जानवरों का नाम लिया जाता है। यह बहुत ही अमानवीय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केमिकल मिला हुआ है और सीधे-सीधे शरीर को विकलांग बना रहा है, बहुत सी बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। यह धन्धा बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसको राजनीतिक संरक्षण पिछले तीन सालों से प्राप्त है। नीचे से लेकर ऊपर तक लोग जुड़े हुये हैं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी थी, आंख मूंदे बैठा रहा व उसकी पूरी संलिप्तता रही। मेरी कोई मांग नहीं है। यह जो करोड़ों रुपये का धन्धा हो रहा है, इसमें आस्थाओं और भावनाओं को बचाने के लिए आपने जो नया संगठन एस0आई0टी0 बनाया है उससे जांच इसकी करा लें। अगर सचमुच ऐसा है तो इन लोगों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनाकर जो यह अक्षम्य अपराध किया है सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दण्डित किया जाना चाहिए। तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं अखबार में भी

आ रहा है स्टिंग आपरेशन के माध्यम से भी आ रहा है कि किस तरह से खरीदा जा रहा है अगर गलत हो तो इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय मेरा आशय इतना है कि यह जो धन्धा चल रहा है उसमें जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए यह देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल तो है ही लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कैमिकल मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो विषय उठाया है जहां तक नियमों का सवाल है नियमों के अनुसार कार्य-स्थगन का सवाल है उसमें अगर किसी विषय पर चर्चा होने की सम्भावना हो तो वह विषय नहीं लिया जा सकता है चूंकि अभी विभिन्न विभागों की अनुदान मांगें आने वाली हैं उस समय इस पर विस्तृत चर्चा होगी इसलिए इस प्रश्न को आप अग्राह्य करने का काम तो करेंगे ही लेकिन मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह के अपराध का कार्य यदि हो रहा है या हो रहा था तो यह सरकार जो भी कानून के अनुसार कार्यवाही होगी वह करने का काम करेगी और निश्चित रूप से इस मामले की जांच कराकर जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा कहना है कि इस मामले की एस0आई0टी0 से जांच करवा लें। इसमें बड़ी-बड़ी मोटी गर्दन हैं इसलिए एस0आई0टी0 से जांच करवाने का आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

जांच तो करा रहे हैं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

अध्यक्ष जी, प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है यह किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष का विषय नहीं है यह सही अर्थ में मानव जीवन से जुड़ा हुआ सामाजिक प्रश्न है और एक कल्याणकारी सरकार जो अपने को कहती है उसका यह दायित्व बनता है कि ऐसे प्रश्नों को राजनैतिक दृष्टि से सामान्य जवाब से उत्तरित कर देने में अपना दायित्व पूर्ण न समझे। इसमें कोई आरोप नहीं लगाया गया है केवल यही कहा जा रहा है कि यह घटना हो रही है यह घटना उजागर हो गयी। मिलावट तो बड़े पैमाने पर होती है समाज में हो रही है लेकिन हड्डी से चर्बी निकालकर घी और देशी घी जिसका खाने में विशेष लगाव रहा है, हर व्यक्ति यह समझता है कि हम देशी घी खा रहे हैं इसलिए स्वस्थ रहेंगे लेकिन वह खाकर अस्वस्थ और बीमार हो जाय तो गम्भीर बात होगी। एक बात यह भी है कि पशुओं में किसी पशु पर विशेष श्रद्धा हो गाय उसकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्बी मिलाई जाय तो यह तनाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए केवल जांच करा देंगे इतना कहने से काम नहीं चलेगा। जांच करने तो एक इंस्पेक्टर भी चला जायेगा तो वह भी सरकारी जांच मानी जायेगी। इसमें सरकार कहे कि इसको हम गम्भीरता से ले रहे हैं न कि एक सामान्य प्रश्न के उत्तर के रूप में ले रहे हैं यह संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से स्पष्ट प्रकट नहीं हुआ। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है इसका उत्तर भी गम्भीरता के साथ आना चाहिए किससे जांच करवाएंगे कितने दिन में जांच करवाएंगे जांच का स्वरूप क्या होगा यह निश्चित रूप से आना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश की जनता जाने कि यह प्रश्न सदन में उठा और संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से अत्यन्त गम्भीर और संवेदनशील होकर इसमें जांच कराने का कोई उत्तर दिया गया और सदन को ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी यह प्रकरण जन-जन से जुड़ा हुआ है।

श्री लालजी वर्मा-

यह निश्चित रूप से गम्भीर प्रश्न है जो आरोप लगाए गए हैं निश्चित रूप से वह गम्भीर प्रकृति के हैं हमारे विद्वान साथी हैं नेता भाजपा और नेता कांग्रेस। जांच की प्रक्रिया होती है पहले विभागीय जांच होती है। विभागीय जांच में कुछ ऐसे बिन्दु आते हैं तो निश्चित रूप से जैसी आवश्यकता होती है उसमें पुनः जांच के आदेश होते हैं तो निश्चित रूप से जांच की प्रक्रिया के तहत जो बिन्दु आपने उठाये हैं, मैं आश्वस्त कर रहा हूं इसमें किसी प्रकार की लीपापोती नहीं की जाएगी। पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यवाही की जाएगी।

(श्री ओम प्रकाश सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इससे ज्यादा क्या होगा ? स्पष्ट सरकार ने कहा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इस सदन के उठने के समय तक इस विषय पर एक जांच रिपोर्ट या जो सरकार ने किया है उसकी आख्या सदन को दे देंगे। यह आश्वासन दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

सरकार जांच करा रही है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सदन उठने के पहले बता दें।

श्री अध्यक्ष-

दो दिन का समय तो दीजिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

27 जुलाई तक आपने सदन का कार्यकाल रखा है मैं उस उठने की बात कर रहा हूं। सदन का सत्रावसान हो, जब अन्तिम बैठक हो उससे पहले बता दें। सदन आश्वस्त हो ले। सरकार ने गम्भीरता से लिया है। सदन उठने से मतलब आज नहीं, कल नहीं, एक महीने की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने पारदर्शिता की बात कही है। सही जांच हो जाएगी, शीघ्र जांच हो जाएगी, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

एक महीने में अवगत करा दें। शासन गम्भीर है ईमानदार है तो कह दें एक महीने में सूचना उपलब्ध कराएंगे।

श्री अध्यक्ष-

पारदर्शिता रहेगी। जांच होगी। कह दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

कह दें एक महीने में हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

उनको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

एक महीने में जांच की प्रगति से सदन को अवगत करा दें।

श्री लालजी वर्मा-

जो आपने निर्देश दिए हैं उनका पालन होगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे कहना है इतना संगठित गिरोह है जहां चर्चा कर रहे हैं वहां सूचना होगी अगर एक-दो दिन का विलम्ब कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वहां सारे साक्ष्यों को मिटा दिया जाएगा। जो कुछ करना है वह आज प्रारम्भ करें अभी प्रारम्भ करें। वरना वहां से साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे तो क्या होगा। इस प्रश्न को उठाने का मतलब क्या रहेगा ?

श्री अध्यक्ष-

शीघ्र और तत्काल करने के लिए कहे हैं हो जाएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसमें आज से ही कार्यवाही शुरू कर दें वरना न तो साक्ष्य रह जाएंगे और न अपराधी ही रह जाएंगे।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

इसमें मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आता है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं। प्रथम सूचना प्रमोद तिवारी जी की अग्राह्य की गई है।

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर सुनियोजित ढंग से असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने तथा उक्त विश्वविद्यालय, तत्सम्बन्धी ट्रस्ट एवं श्री मोहम्मद आज़म खां पर मुकदमा कायम किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद आजम़ खां द्वारा दिनांक 27 जून, 2007 के उपवेशन में नियम-300 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

*श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने मद संख्या-4 पर एक वक्तव्य दिया। उसके क्रम में एक साधारण सदस्य भी अपनी कोई बात कहता है और उससे व्यक्तिगत रूप से वह बात जुड़ी होती है तो यह सदन बहुत संवेदनशील तरीके से उस बात को लेता है। उस स्थिति में श्रीमन्, जैसा बयान संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया...

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं यह कौन सा प्रकरण उठा रहे हैं।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

एक विषय पर कितनी बार कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने स्पष्टीकरण पूछा सरकार की तरफ से उत्तर आ गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं सुन रहा हूं आज़म खां जी चले गए।...

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं। मा0 आज़म खां साहब के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके किसी स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया है। यह सरकार के असंवेदनशील रवैये का परिचायक है। सरकार जौहर विश्वविद्यालय को गिरवाना चाहती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि आज़म खां साहब के कहने के बाद भी सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का परित्याग करता है।

श्री अध्यक्ष-

आज़म खां भी चले गये हैं, अब आप क्या चाहते हैं ?

(जौहर विश्वविद्यालय प्रकरण पर शासन द्वारा समुचित स्पष्टीकरण न दिये जाने के विरोध स्वरूप श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के सन्दर्भ में जो सूचना मिली है, उसमें लगभग 16 माननीय सदस्यों के नाम हैं। मैं चाहता हूं कि व्यवस्थित ढंग से चर्चा हो। इसमें जिन दलों के लोग हैं, सदस्य हैं, पहले उनके दलों के नेता एक-एक करके अपनी बात रख दें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस प्रदेश में किसान और उसकी आर्थिक स्थिति इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। इसमें भी गन्ना सबसे प्रमुख कैश क्राप है। अगर किसान की अर्थ-व्यवस्था में गन्ने का योगदान देखें तो यह सबसे प्रमुख आर्थिक फसल है। इस पर बहुत कुछ आश्रित रहता है। हर वर्ष, हर सरकार का किसानों का यह प्रमुख विषय होता है। गन्ने के मूल्य के भुगतान में हर सरकार तत्पर रहती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई सरकार गन्ने के भुगतान के प्रति तत्पर नहीं रहती है। लेकिन सरकार का चीनी मिल मालिकों पर कितना नियन्त्रण है, उसके आधार पर चीनी मिल मालिक उसका भुगतान करने में तत्परता दिखाता है। सरकार तो इच्छुक रहती है कि किसानों का भुगतान हो लेकिन वह ढिलाई बरतती है तो गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान थोड़ा शिथिल हो जाता है। इस समय भी लगभग 2500 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बाकी है। मैं चाहता हूं कि यदि सदन में चर्चा का आप अवसर देंगे तो जितने भी सदस्य हैं जिनके क्षेत्रों में गन्ना होता है, वह निश्चित रूप से इस पर अपने विचार रखना चाहेंगे और मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था आप करें कि आज इस विषय पर सभी नये एवं पुराने सदस्यों को दल से ऊपर उठकर प्रदेश के किसानों के हित में बोलने का अवसर मिले और मैं तो कहूंगा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि कोई मंत्री हो जिसके क्षेत्र में गन्ना मूल्य बकाया हो तो उसको भी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात की अनुमति दे दें कि वह सदन के एक सदस्य के नाते मंत्री पद से ऊपर उठकर अपनी बात रखे। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है, किसानों के लिए बड़ा चिन्तनीय विषय है, प्रदेश के किसानों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

मान्यवर, गन्ना मूल्य भुगतान के प्रति अभी तक शासन को जो कठोरता और तत्परता दिखानी थी वह नहीं दिखाई है इसलिए चीनी मिल मालिक इसका भुगतान करने में शिथिलता बरत रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से शासन की बनती है। मैं समझता हूं कि शायद 1-2 मिलें ऐसी होंगी जहां पर बहुत कम गन्ना पेराई किया गया हो तो वहां पर पूरा भुगतान हो गया हो नहीं तो मिलों पर 40 से 60 प्रतिशत तक गन्ना मूल्य बकाया है और सरकारी मिलों पर तो बहुत अधिक बकाया है जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन की बनती है। इसलिए जब शासन का पक्ष रखा जाए तो दो बातों पर बात की जाए। पहली बात यह कि निजी चीनी मिलों से कब तक गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान होगा और इसमें क्यों ढिलाई बरती गई ? इसी तरह से सरकारी चीनी मिलों पर भी बकाया है। एक और विषय मेरी जानकारी में है कि सरकार सहकारी और कार्पोरेशन निगम की चीनी मिलों को बेचने की कोई योजना बना रही है। सभी मिलों का मूल्यांकन हो रहा है। यह गम्भीर चिंतनीय प्रश्न है और इससे असंतोष तथा चिंता व्याप्त है। शासन इस पक्ष को भी रखे और सदन को स्पष्ट करे कि क्या सरकार सहकारी और निगम की चीनी मिलों को बेचने की योजना बना रही है और यह भी आश्वस्त करे कि भविष्य में उन्हें चलाने की क्या नीति है और कब तक गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा ? इतना कहकर मैं इस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप नए सदस्यों को भी इस पर बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जो दल के नेता हैं वह 10 मिनट और जो नए सदस्य हैं वह 3-3 मिनट में अपनी बात रख दें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम लोग तो केवल गन्ने पर निर्भर हैं। गन्ने के अलावा गुजारे का कोई साधन ही नहीं है। गन्ना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते हमें अपनी पीड़ा रखने का अगर इस सदन में भी अवसर नहीं मिलेगा तो हम अपनी पीड़ा और कहां रखेंगे। मान्यवर, आप जब भी अवसर दें तो हमारी पीड़ा को भी ध्यान में रखें। इसलिए हमने कार्य-स्थगन दिया है। केवल चर्चा में भाग लेने की औपचारिकता नहीं बल्कि कृषकों की पीड़ा रखना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, चाहे पूरब हो या पश्चिम गन्ने की फसल दोनों क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश की कृषक आबादी का तकरीबन 70-75 प्रतिशत कृषक गन्ने की फसल बोता है। मान्यवर, शोषण यह हो रहा है कि किसान गन्ना तो बो देता है लेकिन जब फसल पूरी हो जाती है तो उसके पास कोई तरीका नहीं रहता। या तो वह खेत में आग लगाए या वह चीनी मिलों को दे। जब मिल को देता है तो उसकी स्थिति यह है कि आज इस प्रदेश में 2600 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है। जो निजी चीनी मिलें हैं उनका 2 हजार करोड़, जो निगम की चीनी मिलें हैं उनका 250 करोड़ और जो कार्पोरेशन की चीनी मिलें हैं उन पर 350 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। छब्बीस सौ करोड़ की देनदारी है। तो मैं क्या समझूं। दो हजार करोड़ की आपकी देनदारी प्राइवेट में है और आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा देनदारी इस बार हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। किसी डिस्ट्रिक्ट में डी0एम0 या किसी अधिकारी को शासन के आदेश नहीं आये हैं कि आप रिकवरी करें, आप ताला लगायें आप जोरदारी करें उस मिल मालिक पर कि वह देनदारी दे। ढाई महीने के अन्दर दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा, गन्ने की पेराई शुरू हो जायेगी, अक्टूबर में शुरू हो जाती है, तो ढाई पौने तीन महीने के अन्दर दूसरी शुरू हो जायेगा दूसरी देनदारी अलग होगी। तो आप स्थिति को गौर कर लें कि किसान की क्या हालत होगी। अगर हम उनको पैसा नहीं दे पायेंगे तो उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पायेगी, मकान नहीं बन पायेंगे, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं वह दे पायेगा। मान्यवर, कानून है, अगर आप निजी मिल मालिकों की सराहना करेंगे, उन्हें पैसा नहीं देने देंगे तो एक काम करें, गन्ना कानून के अन्दर यह है कि अगर चौदह दिन तक किसानों को पैसा नहीं दिया जाता है तो उन्हें चौदह प्रतिशत ब्याज दिला दें। अगर आप इस चीज को लागू करेंगे तो कम से कम उन्हें जब बाद में पैसा मिलेगा तो उस पर ब्याज मिल जायेगा और इससे उसके कुछ आंसू पुछ जायेंगे। इस वक्त स्थिति यह है कि किसी वक्त भी कहीं पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लोग सड़क पर आ सकते हैं या फिर मिलों में जाकर उधम काट सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है इसमें गौर करें। यह छब्बीस सौ करोड़ रुपया और खास तौर से दो हजार करोड़ जो प्राइवेट मिल का है, उसका पैसा दिया जाय। इसमें चर्चा हो और जो हमारे नये विधायक हैं, जिनके क्षेत्र में यह समस्या है, उनको भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार आपके सामने आये हैं मैं उन विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए दो तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे पास एक सूची है, 83 मिलों की कि किस पर कितना पैसा बकाया है, मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखें 82 करोड़ पचासी लाख रुपये एक मिल पर बाकी है। कल्पना करें कि जिस मिल पर इतना पैसा बाकी है उसके चारों तरफ किसानों की हालत क्या रही होगी। मान्यवर, गोला लखीमपुर 95 करोड़ 66 लाख 79 हजार, किनौनी मेरठ, 62 करोड़, पलिया 78 करोड़ 39 लाख, तुलसीपुर 41 करोड़, हरगांव सीतापुर 48 करोड़ 54 लाख, बुड़हाना, मुजफ्फरनगर 39 करोड़ 15 लाख, सहारनपुर 27 करोड़ 80 लाख, 52 करोड़ 57 लाख बिजनौर की यह कल तक की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से और भी मिलों के बकाये हैं, इन्हें गिनाकर मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। जो फीगर मैंने आपको उपलब्ध करायी हैं उसका टोटल लगभग 2600 करोड़ के बनता है। एक ओर तो सरकार का पूरा दबाव तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर है कि जो सरकारी देय है उसकी वसूली करो, किसान का पैसा तो मिल वालों पर है और सरकार का जो पैसा किसानों पर है, पूरा दबाव है कि उसकी वसूली करो। मान्यवर, मैं एक चुनौती नहीं लेकिन मैं एक आग्रह कर देना चाहता हूं कि विभाग के मंत्री भी सामने बैठे हुए हैं, इस बात की जानकारी कर लें कि सरकारी ब्यूरोक्रेट के कारण से जो भुगतान नहीं कर सके हैं किसान, किसी मजबूरी की वजह से वह भुगतान नहीं कर सकते हैं और भुगतान न कर सकने के कारण कितने ही किसानों के ट्रैक्टर खींच करके तहसीलों में खड़े हुए हैं। मान्यवर, इस बात की भी जानकारी कर लें कि कितने किसान आज हवालात में इस वजह से बन्द हैं कि वह बैंक का पैसा नहीं दे सके, ऋण की वापसी नहीं कर सके। यह धिक्कार की बात है कि नहीं है मान्यवर, कि एक ओर तो हमारा पैसा मिल वाला लिए बैठा है, सारा नियंत्रण सरकार का है और एक ओर किसानों को पकड़-पकड़ कर घरों से हवालात में बन्द किया जा रहा है। आज बुवाई होती है मान्यवर, थान की बुवाई होनी है, ट्रैक्टर मेरा तहसील में खड़ा है। यह कौन सा निजाम है ? यह कैसी व्यवस्था है ?

मान्यवर, इससे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है हमारे बहुत से साथी जो हमारे साथ इधर बैठे हुए हैं, कल उधर बैठ सकते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कुछ विलम्ब हुआ था पेमेन्ट में तो यह आदेश गया था यहां से कि जिस किसान का मिल पर पैसा बाकी है, उस किसान की देय की वसूली स्थगित रहेगी जब तक उसका पूरा भुगतान न हो जाये। मान्यवर, यह हमने व्यवस्था की थी। आज मेरे जैसे कार्यकर्ता, मेरे जैसे जनप्रतिनिधि को पीड़ा होती है जब किसान मेरे सामने आता है कि मिल वालों पर मेरा पैसा बाकी है, मेरा ट्रैक्टर तहसील में खड़ा हुआ है, मेरा भाई हवालात में बन्द है। मैं चाहूंगा कि कम से कम आज इस बात की घोषणा हो जाय, भुगतान की व्यवस्था तो आप करें, प्राथमिकता दें लेकिन प्राथमिकता के साथ-साथ यह भी आदेश हो जाय कि जब तक किसानों का भुगतान न हो जाय तब तक उनके खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं होगी। दूसरी बात मान्यवर, अभी अक्टूबर का महीना आने वाला है, दूसरा सत्र शुरू हो जायेगा, इसका भुगतान नहीं हुआ, यह तो इसी साल का पैसा है। क्या कारण

ऐसे बने, कौन सी नाति के कारण इस बारे में रुकावट पैदा हुई, जो एक कमोडिटी चीनी है जिसके ऊपर सौ प्रतिशत नियंत्रण सरकार का होता है। मान्यवर, सरकार को जानकारी रहती है कि किस मिल की कितनी चीनी निकालने की हमने अनुमति दी है और अगर उतनी अनुमति दी है तो उसका पैसा आया है तो पैसे पर सबसे पहला अधिकार किसान का होता है, वह पैसा डायवर्ट होकर चला कैसे गया ? थोड़ा भी अगर निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर नियंत्रण रहा होता तो बात समझ में आती थी लेकिन यहां पूरा नियंत्रण सरकार का है, केन्द्र सरकार का हो, प्रदेश सरकार का हो, चीनी बेच करके मिल वाला भी पैसे को डायवर्ट करता चला जाय और किसान के पैसे का भुगतान न हो मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात है या नहीं है। मैं सरकार से यह भी जानकारी चाहता हूं कि आपके पास में माननीय मंत्री जी के पास में मेरी जानकरी पहुंच गयी होगी सम्भवतः नहीं पहुंची हो तो मैं पहुंचा देता हूं, हमें जानकारी दें, इन मिलों के ऊपर चीनी स्टाक क्या उनका बाकी है ? या निकल गया सारा का सारा ? और निकल गया तो उसका पैसा डायवर्ट करने की अनुमति उनको किसने दी ? तीसरी बात इस भुगतान के बारे में मजबूरी हुई, कई प्रदेशों की कहानी हमने सुन ली, कर्नाटक की हमने सुन ली, महाराष्ट्र के गन्ना कृषकों की कहानी हमने सुन ली, किसी तरह से, हमारा कृषक कुछ मजबूत दिल का है, अपमान भी सह लेता है, पसीना भी निकालता है लेकिन उसको मजबूर इस बात के लिए न किया जाय कि कल वह मजबूर हो करके आत्महत्या का शिकार हो, आत्मग्लानि का शिकार हो और फिर हम लोग अखबारों में पढ़ें कि किसानों का पेमेण्ट नहीं हुआ था तो फला किसान ने आत्महत्या कर ली। मान्यवर, मैंने संक्षेप में बहुत ही छोटे शब्दों में किसानों की पीड़ा को आपके सामने रखा है और मैंने इस विश्वास के साथ रखा है कि यह राजनीति का प्रश्न नहीं है, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रश्न है, इसको सारे सदन की भावना समझ करके करोड़ों किसानों के परिवरों की भवना को समझ करके इसका समाधान करने का प्रयास किया जाय और इसकी जानकारी सदन को दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

अभी दलीय नेता हैं।

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बातें कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, यह हमारे यहां बहुत बड़ी समस्या है। यह एक प्रमुख समस्या इस समय प्रदेश में है इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

यहां कोई चर्चा नहीं हो रही है, सूचना की ग्राह्यता पर बहस सुनी जा रही है। दल के नेताओं को सुन लिया है। अब माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी को बुला रहा हूं उनकी सूचना है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी आपने कांग्रेस दल को नहीं सुना है। कपूर साहब और पंकज जी अपनी बात कहना चाहते हैं। उनको सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। ग्राह्यता पर बहस खाली मैंने चाही थी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने कहा कि दलीय नेताओं को मैंने सुन लिया है। माननीय नरेश अग्रवाल जी की भी नोटिस है। उसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी आप कृपया बैठ जायें। माननीय नरेश अग्रवाल जी को बोल लेने दें।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि नये माननीय सदस्य और वह सारे सदस्य जो गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों से आते हैं और जो प्रभावित हैं वह अपनी बात को रख लें। माननीय गन्ना मंत्री जी यहां सदन में बैठे हुए हैं। मैं इसे कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने नहीं आया हूं। यह एक वास्तविक परेशानी है आज किसानों के सामने। सरकार की चिन्ता गांवों की ओर है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बजट प्रस्तुत करेंगी आप देखेंगे 70 फीसदी से ऊपर धन गांवों के विकास के लिए जायेगा। मान्यवर, किसान खेती पर निर्भर करता है। उसकी जीविका खेती है। अगर उसे उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा तो जो हमारी आपकी नीयत है उसका श्रेय नहीं मिलेगा। अभी डिटेल में इसके बारे में माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय हुकुम सिंह जी और माननीय कौकब हमीद जी ने कहा है। आपने पिछले दिनों गन्ना मिल मालिकों की बैठक बुलायी थी। उस बैठक में कौन सी समस्यायें उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं और आखिर क्या कारण है जो यह समस्या है। मैं एक बयान पढ़ रहा था उसमें आया था कि किसान अपना बकाया चीनी मिल मालिकों से चीनी लेने के रूप में प्राप्त कर सकता है। किसान को अगर उतनी चीनी मिल भी गयी तो वह उसका क्या करेगा। आखिर उसे अपनी आवश्यकता के लिए कितनी चीनी चाहिए होगी। मालिकों ने आपको जो समस्यायें बतायी हैं उसके समाधान के लिए आपने क्या योजना बनायी है। कब तक वे बकाये का भुगतान करेंगे। जब माननीय ओम प्रकाश सिंह जी गन्ना मंत्री थे उस समय केन्द्र सरकार से 500 करोड़ रुपये का पैकेज गन्ना भुगतान के लिए स्वीकृत हुआ था ताकि चीनी मिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मालिकों को भुगतान करके किसानों को भुगतान कराया जा सके। क्या यह सरकार केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में कोई बात करेगी। क्या कहीं कोई परेशानी है जिसके कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे हो। चीनी की मार्केट डाउन हो गयी है इस कारण अभी भुगतान नहीं हो पायेगा यह कोई एस्क्यूज नहीं है। अगर आवश्यक हो तो आपको दबाव बनाना पड़ेगा और समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। नहीं तो यह आन्दोलन का रूप लेगा। मान्यवर, 6 महीने तक हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं हमने सरकार को काम करने की छूट दी है। बहुत प्रताड़ना भी हो रही है हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन कोई न कोई अगर आप समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे तो उग्र रूप हो जायेगा। अगर आप गेहूं के दाम 1160 रुपये मांग कर सकते हैं, और चीजों के दाम की मांग कर सकते हैं तो इसके भुगतान की बात भी कहीं न कहीं करें। किसानों का भुगतान अगले माह तक, जब सीजन शुरू हो अगले माह तक नहीं हुआ तो किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जायेगा क्योंकि किसानों की जो हालत है बच्चों की शादी नहीं कर पायें, बच्चों की शिक्षा नहीं ग्रहण करा पा रहे हैं। यह सारी समस्याएं, एक समाजिक समस्या खड़ी हो गयी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्पष्ट इस सदन में बता दें कि कब तक भुगतान होगा, क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा जिससे कि हम सब मिलकर प्रदेश के हित में किसानों का भुगतान कराकर किसानों के हित में काम कर सकें, यही मेरा अनुरोध है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि आप मिल मालिकों से मिले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य दो मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री धर्मपाल यादव, डी0 पी0 यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा भी जाता है और है भी और उसमें उत्तर प्रदेश का अपना एक अहम स्थान है। पूरे देश में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन का काम उत्तर प्रदेश में होता है। पिछले दशक पर अगर नजर डाल ली जाय तो चीनी मिलों का जो इक्सपेंशन हुआ है उत्तर प्रदेश में यानि पिछले 10 वर्षो में जो चीनी मिल ढ़ाई हजार टीजीटी, की थी वह 5 या 10 टीजीटी, तक पहुंच गयी हैं। यानि बुनियादी तौर पर सोचा जा सकता है कि चीनी मिल मालिकों ने यह सोचकर, देखकर और मार्केट के लिहाज से अपने चीनी मिलों का विस्तार किया। सरकार की जो नीति रही बहरहाल उस पर मैं ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। क्योंकि हमारी जो कोआपरेटिव क्षेत्र की चीनी मिल उत्तर प्रदेश में हैं उनका विस्तार नहीं हो पाया हलांकि किसान की यह बहुत जरूरत थी कि उत्तर प्रदेश में कि चीनी मिलों का विस्तार किया जाय। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसके चारो तरफ करीबन बदायूं जनपद में तकरीबन 4 चीनी मिलें हैं और दो चीनी मिलें अभी पिछले वर्षो में जो 10-10 हजार टीजीटी

की है, वह लगी है। लेकिन स्थिति यह है कि किसान एक 'मार' का सामना ही नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कि महज उसका भुगतान ही नहीं रुका हुआ है बल्कि उसका गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा है, पिछली सरकार के दौरान। यह सरकार तो अभी आई है, नई सरकार उसकी नीति और उसके बारे में अभी ज्यादा यहां नहीं कहा जा सकता लेकिन पिछली सरकार की नीतियों के दौरान स्थिति प्रदेश में, यह पैदा हुई कि करीबन लाखों टन गन्ना आज भी किसानों का खेत में खड़ा हुआ है। भुगतान का यहां तक कि करोड़ों रुपया बाकी है जैसा कि हमारे माननीय पार्टियों के नेतागण और माननीय सदस्यों ने कहा है, वह तो वास्तविकता है, ही लेकिन ऐसी चीनी मिले भी हैं अगर आप इसकी जानकारी गन्ना विभाग से अपने स्तर पर ली जाये तो ऐसी चीनी मिलों की कमी नहीं है जिनके आस-पास किसान अपनी ट्रालियों में अपने खेत का गन्ना ऐसे ही फेक कर चला गया और आज लाखों टन गन्ना मिल के पास पड़ा सूख रहा है वह बेकार हो गया है और उसकी कोई कीमत किसान को नहीं मिलने वाली है। गन्ना पैदा करने में उसका परिवार लगा रहता है और यह भयावह स्थिति किसान की हो चुकी है कि वह उस गन्ने को कहां ले जाय किस तरह से उसकी कीमत उसके हाथ आ जाय। तो मेरा नम्र निवेदन है, गन्ना मंत्री जी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि कुछ परेशानियां गन्ना मिल मालिकों के सामने हो सकती हैं तो प्रदेश में निजी मिलों के मालिकों और अपने विभाग के अधिकारियों को मिलाकर एक ऐसी मीटिंग या विचार-विमर्श हो जाना चाहिए। जिसमें इस समस्या का निस्तारण हो सके।

मान्यवर, करोड़ों रुपये किसानों का गन्ना मिल मालिकों पर बाकी है। ऐसा कौन सा कारण है कि निजी मिल मालिकों ने अपनी मिलों की कैपेसिटी ढाई हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर ली और किसान का गन्ना भी लिया और भुगतान किसान को नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से चाहूंगा कि उसे इस समस्या का निराकरण करने के लिये कोई नियम जरूर बनाना चाहिये। मान्यवर, इस समस्या का निदान मेरी समझ में नहीं आता। मैं निजी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि गुन्नौर, जो पिछले मुख्य मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र था, उस क्षेत्र में चारों तरफ गन्ना सूखा पड़ा है और करोड़ों रुपये किसानों का बाकी है। यदि लाखों रुपये की चीनी किसानों को दी जायेगी तो वह इसे लेकर कहां जायेगा ? इसलिये किसानों के भुगतान का रास्ता साफ होना चाहिये और इस समस्या का निदान होना चाहिये।

*श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, हमारा जनपद लखीमपुर-खीरी गन्ना किसान बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे यहां सरकारी और गैर सरकरी 7 गन्ना मिलें हैं और हमारे यहां गन्ना किसान का बकाया 2600 करोड़ में साढ़े 300 करोड़ है। मान्यवर, आप ऐसा निर्देश दें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, हमारे जनपद के गन्ना किसानों का भुगतान हो जाय। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी वसूली हमारे यहां हो रही है, उसको अविलम्ब रोका जाय क्योंकि हमारे यहां का किसान पूर्णतः गन्ने पर निर्भर है। हमारे जनपद की पूरी जो आबादी है, वह काश्तकारों की है और गन्ना किसानों की है, इसलिये आप इस समस्या की ओर ध्यान दें और यह सोचें कि उन किसानों की क्या हालत हो रही होगी ? गन्ना भुगतान के साथ किसान अपनी नई-नई योजनायें बनाता है जैसे कन्याओं का विवाह या अन्य जो कर्जे उसने ले रखे हैं उनकी अदायगी करेगा, उनसे मुक्त होगा। आज किसानों से विद्युत बकाये की वसूली हो रही है, उसको रोका जाय और मान्यवर, आप उनकी वेदना को समझने का प्रयास करें तथा उनके भुगतान को कराने की कृपा करें।

*श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की चीनी मिल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं वह बराबर घाटे की तरफ जा रही है। गन्ना बकाये भुगतान के सम्बन्ध में पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कहीं हैं, मैं उनसे सहमत हूं और उन्हें दोहराना नहीं चाहता। हमारे यहां की चीनी मिल जीर्णोद्धार के बाद भी सही नहीं चल रही है। किसानों का सैकड़ों एकड़ गन्ना बिलासपुर क्षेत्र में खड़ा हुआ है। मैं केन कमिशनर से मिला था उन्होंने आदेश किया था कि जिनका गन्ना खेतों में खड़ा रह जायेगा उसका सर्वे कराया जायेगा और उनको खड़े गन्ने का भुगतान कराया जायेगा। इसलिए जिन किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रह गया है, ऐसे किसानों के गन्ने का भुगतान जरूर होना चाहिये। क्योंकि काश्तकार पूरी तरह गन्ने पर निर्भर है और उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारा क्षेत्र 70 प्रतिशत गन्ने का क्षेत्र है। मिलक में कोई चीनी मिल नहीं है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं का निदान शीघ्र होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपकी बात आ गयी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोंडा, बलरामपुर जनपद में गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां की चीन मिलों तुलसीपुर, बलरामपुर, बभनान, मनकापुर आदि में किसानों का काफी धन बकाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां 100 में 70 आदमी काश्तकार हैं, मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों का भुगतान न होने के कारण कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पायी है।

100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पे रख के हाथ कहिये देश क्या आजाद है,
कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकियें,
असली हिन्दुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज गन्ना किसानों की जो दशा है वह बेहद दयनीय है। जुलाई का महीना आने वाला है और वह अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है। ट्रैक्टर-ट्राली खींच ली गयी है, अमीन पहुंचते हैं, तहसीलदार पहुंचते हैं, डंडों से पिटाई करके उन्हें बन्द कर रहे हैं। मान्यवर, अगर किसान मजबूर हो जाएगा तो देश मजबूर हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से और इस सदन की परम्परा भी रही है, जिस आसन पर आप बैठे हैं, उसी आसन पर राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन से ले करके एक से एक महान विद्वान बैठे हैं और उन्होंने सरकारों को निर्देश दिया है कि गरीबों पर कोई जुल्म उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, इस पीठ से आदेश हुआ है कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए, और अधिकारियों पर लगाम लगायी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय दलीय नेताओं से निवेदन है कि यह कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप कम शब्दों में अपनी बात रखें और सरकार का भी पक्ष आ जाने दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, चर्चा की मांग हो रही है, दो घण्टे की चर्चा करा लें। आज कोई लम्बा एजेण्डा भी नहीं है इसलिए मान्यवर, चर्चा करा लें तो फिर बाद में चर्चा भी नहीं करानी पड़ेगी।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, जैसा कि हमारे नेता माननीय कौकब हमीद जी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार के लिए मिल-मालिकों पर दबाव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना ऐक्ट में प्राविधान भी है कि यदि 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं होगा तो उसके बाद किसानों को उनके मूल्य के साथ ब्याज भी अदा किया जाएगा और जहां तक मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही निर्णय दे दिया है लिहाजा इस ओर भी पीठ और सरकार ध्यान दे। अन्य बातों के साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि दैनिक जागरण अखबार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिनांक 26 जून को यह छापा है कि सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के गन्ना किसानों पर अपनी खुफिया निगरानी रख रही है और देख रही है कि वहां कोई किसान आन्दोलन न खड़ा हो जाए। मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की लोकतंत्र के अन्दर जो भूमिका है वह गरीब और परेशान आदमी को सहारा और संरक्षण देने की है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे पीड़ित व्यक्ति की निगरानी की जा रही है। मान्यवर, मैंने एक बयान और पढ़ा था, उस बयान के मुताबिक गन्ना मंत्री ने बयान दिया था कि किसान अपने गन्ना मूल्य के बकाये के अवशेष के रूप में चीनी मिलों से चीनी ले सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसान व्यापार करना जानते तो अपना गन्ना मिल में डालकर क्यों आते वह खुद अपनी मिल लगा सकते थे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब 24 रुपये किलो चीनी का मूल्य था उस समय यह प्रॉविजन क्यों नहीं किया गया कि किसानों को चीनी दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जिस जनपद से मैं निर्वाचित हो करके आया हूं, वह पूरी तरह से गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। अगर हमारे यहां गन्ने की खेती न हो तो हमें कपड़े भी नहीं मिल पायेंगें। जनपद मुजफ्फरनगर के किसानों के बारे में बताना चाहता हूं कि पूरे जनपद के किसानों का लगभग 220 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। आज किसान भूखों मरने की कगार पर है, अपनी पुत्रियों की शादी नहीं कर पा रहा है, समय से बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा है। वहां के किसानों ने जो कृषि ऋण लिया था, अकेले मुजफ्फरनगर में 450 करोड़ रुपये का बकाया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में दोहरी मार किसानों पर पड़ रही है। सरकारी और सहकारी बैंकों का जो मूल्य बकाया है उसका ब्याज वसूला जा रहा है। जब तक चीनी मिलों द्वारा गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है, किसानों से ऋणों का ब्याज न वसूल किया जाए और गन्ना किसानों को ब्याज सहित बकाये का भुगतान करने की मांग करता हूं।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्य बोलने के लिए अपने आसनों पर खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें। कोई चर्चा नहीं स्वीकार किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में गन्ने के बकाया मूल्य की समस्या है। गन्ना किसानों का काफी पैसा सरकारी और निजी चीनी मिलों पर बकाया है।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार नहीं किया है, जिन सदस्यों ने सूचना दी है उनको ग्राह्यता पर सुनते हैं। नये सदस्यों ने सूचना नहीं दी है, इसलिए ग्राह्यता पर सुनने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कौकब हमीद साहब और ओम प्रकाश सिंह जी, सूचना की ग्राह्यता पर सभी दलीय नेताओं को सुन लिया। कुछ नये सदस्यों के लिए आपने इंगित किया, वह भी बात मान ली और कुछ नये सदस्यों को इस विषय पर सुन लिया। इतनी लम्बी फेहरिस्त है कि 4 घण्टे तक बोलेंगें तब भी खत्म नहीं हो पायेगा। दलीय नेताओं के विचार आ गये, इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर मुझे भी दो मिनट सुन लीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में न शहर है, न कस्बा है, हम 100 प्रतिशत गांव से जुड़े हुये है।...

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप आसन ग्रहण करिये। आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। इस पर लगभग 10 लोग बोल चुके हैं। हमने कई नये सदस्यों को भी सुना है। श्री कौकब हमीद साहब, मा0 प्रमोद तिवारी जी, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी व श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने जो सूची दी है उस हिसाब से सुनना मुश्किल हो जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी जी, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो इस पर दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लीजिए या सभी सदस्यों को दो-दो मिनट बुलवाकर इस विषय को आज खत्म कर दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बजट सत्र है कल बजट आयेगा उसके बाद विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। गन्ना विभाग की भी अनुदान मांग आएगी। नियमों के अनुसार कार्य संचालन नियमावली में इस बात का उल्लेख है अगर सदन में किसी विषय पर चर्चा होनी है तो निश्चित रूप से वह कार्य स्थगन का बिन्दु नहीं बनता है इसलिए चर्चा स्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है। गन्ना विभाग का बजट आएगा उसमें सदस्य निश्चित रूप से अपनी बात कहेंगे। आपने उदारतापूर्वक सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दिया है अब मैं चाहूंगा कि गन्ना मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं सदस्यों ने जो-जो बिन्दु उठाये हैं उस पर निश्चित रूप से वह कुछ कहेंगे। जहां तक ग्राह्यता का सवाल है निश्चित रूप से जब आगे विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी उस पर सदस्यगण अपनी बात रख सकेंगे। इसलिए ग्राह्यता का सवाल नहीं है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने इस विषय पर सूचना दी है इसलिए मुझे सुन लिया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर मैंने हर दल के कुछ सदस्यों को सुन लिया है जबकि कोई चर्चा नहीं हो रही थी चूंकि नये सदस्य थे इसलिए मैंने लिबरल रवैया अपनाया।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने उदारतापूर्वक जिन सदस्यों के नाम सूची में नहीं थे, जिन लोगों की नोटिस नहीं थी उनको भी आपने सुनने की कृपा की। इतनी उदारता के बाद भी जिस मा0 सदस्यों के नाम पढ़े उनको कम से कम ग्राह्यता पर सुन लेते।

एक मा0 सदस्य-

मैंने नोटिस में नाम दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपकी बात कह रहा हूं। जिन सदस्यों के नोटिस में नाम हैं उनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जो आप लोगों की सूची आयी है...

श्री ओम प्रकाश सिंह-

पांच सात लोगों से ज्यादा नहीं है सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

भारतीय जनता पार्टी की लम्बी फेहरिस्त है इसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नये सदस्यों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

भारतीय जनता पार्टी के नये सदस्यों को सुना। अब आजाद जी तो काफी पुराने सदस्य हैं। यह नये तो हैं नहीं। मैंने नरेन्द्र सिंह वर्मा को बुला लिया। अब जब बजट गन्ने पर आएगा तो बोलिएगा। मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी आप तो बोल लिए। नये सदस्यों का समय क्यों ले रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कार्यसूची देख लें। पांचवे नम्बर पर है। 1 बजकर 20 मिनट हुआ है। तो तीन बजे तक सदन चल जाएगा। मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं तो बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 विभिन्न दलों के नेताओं से निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के दो मा0 सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के दो माननीय सदस्य, लोकदल पार्टी के दो-दो मा0 सदस्यों के नाम दे दें। मैं दो-दो मिनट सुन लूंगा। तीन दल हैं मैं दो-दो मिनट सुन लूंगा। इस व्यवस्था को आप मान रहे हों तो ठीक है वरना सरकार पक्ष से जवाब दिलवाए दे रहा हूं। फैसला आपको करना है। ओम प्रकाश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दो सदस्यों के नाम दे दें। अम्बिका चौधरी जी आप समाजवादी पार्टी के दो सदस्यों के नाम दे दें। दो मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से पांच लोगों के नाम आये हैं। मैंने कृष्णा राज को बुला लिया है, चार लोग और बचे हैं। आप इसमें से किसी एक का नाम बता दें, उसे मैं 2 मिनट के लिए बुलवा लेता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, कोई एजेण्डा नहीं बचा है, आप 4.00 बजे तक सदन चलवा दीजिए, सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव कर दें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने व्यवस्था दे दी है कि दो बड़े दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। इन दलों के नेता किन्हीं दो सदस्यों के नाम दे दें, 2-2 मिनट बुलवा लिया जायेगा। 10-10 लोग खड़े हैं, मा0 ओम प्रकाश जी, कितना भी हम व्यवस्थित करें तो भी सदन का बहुत समय लग जायेगा। अभी नियम 56 के और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, किसानों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए 2.00 बजे तक का समय निर्धारित कर दीजिए। पौने दो बजे तक ही कर दें।

श्री अध्यक्ष-

यह जन समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय है लेकिन जो नियम-56 में और सूचनायें हैं वह भी जन समस्याओं से ही जुड़ी हुई हैं। मैंने व्यवस्था दे दी है, चौधरी साहब, आप दो-दो सदस्यों के नाम भिजवा दीजिए, हम बुलवा देते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम 100 हैं और यह 50 हैं तो संख्या बल के आधार पर निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपके दो कर देते हैं और उनका एक कर देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह तो आपका अधिकार क्षेत्र है, ग्राह्यता पर सुनें या न सुनें, इसमें आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। चर्चा तो हो नहीं रही है कि समय बढ़ा दें। ग्राह्यता पर सुनने या न सुनने का विषय आपका है लेकिन ग्राह्यता की एक सीमा होती है।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर मैंने दलीय नेताओं को सुना और उनके अच्छे विचार आये। जिन मा0 सदस्यों को आमंत्रित किया गया उनके विचार भी उन्हीं से सम्बद्ध हैं, शेष वहीं बातें आनी हैं। इस सूचना पर डेढ़ घण्टे का समय लिया, अभी नियम-56 की दो सूचनाओं को सुनना है। गन्ना किसानों का एक महत्वपूर्ण विषय था, इस पर मैंने ज्यादा से ज्यादा समय दिया। अब मैंने गन्ना मंत्री को बुला लिया है, कोई सदस्य स्पष्टीकरण पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आज एजेण्डे पर मात्र 6 विषय हैं, 5वें नम्बर पर हम चल रहे हैं, एक बजकर पच्चीस मिनट हुआ है, 2.00 बजे तक हाउस खत्म हो जायेगा। इसलिए सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम-56 में दो महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुनना है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इन सूचनाओं को अगले दिन ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे भाई का हक कैसे लेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह अगले दिन ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, नियम 56 में ग्राह्यता पर अभी चर्चा हो रही थी। इसमें कोई चर्चा तो स्वीकार हुई नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपने पहले दिन कहा था कि नये सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप दो बजे तक कर दें। दो बजे माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम विशुन आजाद के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

सरकार का पक्ष आ जाने दीजिए। मैंने माननीय गन्ना मंत्री जी को बोलने के लिए बुला लिया है।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह व कुछ सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये और बोलने की मांग करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

केवल बोलने के लिए इस तरह की स्थिति पहली बार आयी है। यह आप लोग शुरू कर रहे हैं।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास तथा गन्ना मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, यह तो पीठ के विरुद्ध आचरण है। मैं बोलता। अगर यह मुझसे सन्तुष्ट नहीं होते तो यह वेल में आते तो ठीक होता लेकिन यह तो आपके विरुद्ध हो गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

श्री ओम प्रकाश सिंह जी आपने यह तीन मूर्तियां किस लिए बैठा दी। अभी माननीय मंत्री जी बोलेंगे उसमें स्पष्टीकरण प्राप्त करना हो तो करें।

(सदन के वेल में बैठे सदस्यगण वापस अपने स्थान पर चले गये)

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

चौधरी साहब, मंत्री जी के बोलने के बाद अगर आप स्पष्टीकरण चाहेंगे तो पूछ लेंगे इससे और अच्छा मौका मिलेगा। स्पष्टीकरण पर मौका दे देंगे।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह सदन पहले नियमों से चलेगा और फिर परम्पराओं से चलेगा। मान्यवर, नियम यह है कि जिन माननीय सदस्यों की सूचना समय पर आ गयी और आपने पीठ से निर्देश दे दिया कि इन-इन माननीय सदस्यों की सूचना आयी है और उन्हें ग्राह्यता पर सुनेंगे। दलीय नेताओं ने विचार रखे, हमारी सूचना आपके पास है। जब हमने समय पर सूचना दी और नाम है तब हमारा अधिकार भी बनता है और जब आपने पीठ से निर्देश दे दिया कि 2-2 मिनट जिनकी सूचना है उन्हें सुनेंगे। उनके ऊपर दलीय नेताओं ने जो सूची दी उन्हें भी सुन लेंगे। जब व्यवस्था आ गयी तो यह होना चाहिए। मेरी अतिरिक्त बात तो अभी नहीं आयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, निश्चित रूप से माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह और सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा सूचना दी गयी थी। आपने ओम प्रकाश सिंह जी को ग्राह्यता पर सुन लिया। यह जरूरी नहीं कि आप सभी को सुनें। आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि जिस सदस्य के दस्तखत हों सभी को आप सुनें। इनके नेता ने ग्राह्यता पर बोल दिया तो निश्चित रूप से इन्हें बैठ जाना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि इनको अपने नेता पर विश्वास नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमें अपने नेता पर पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक सहयोग की बात है, सहयोग का भी पालन सदन में हुआ है और परम्पराओं का भी पालन हुआ है। जिन सदस्यों की सूची थी उसमें से काफी सदस्य ग्राह्यता पर बोले। दलीय नेताओं की सूची हमारे पास आयी और कहा कि इनको सुन लीजिए। आपके दलों के नेताओं की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूची आ गयी और हमने लोगों को बुलवाया। मैंने दलों के नेताओं का आदर किया और कोशिश की कि सभी लोगों को सुनूं। अब माननीय गन्ना मंत्री जी खड़े हो गये हैं जवाब देने के लिए आप लोग इनको सुनें, खन्ना जी बैठ जायें। इनके बाद आप जो भी सुझाव अगर नया हुआ, तो दे दीजिएगा।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

जब मंत्री जी बोल रहे हों तो बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। आप बैठ जायें।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सदन नियमों के अनुसार चलेगा या जोर जबरदस्ती के अनुसार चलेगा या फिर वेल में जाने वालों के अनुसार चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन नियमों के अनुसार ही चलेगा।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

नये सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है और वेल में जाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सदन कायदे कानून से चलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

यह सदन कायदे कानून से चलता है और चल रहा है। आप बैठ जायें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने सभी मा0 सदस्यों को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक सुना। लगभग सभी ने गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान है उसके सम्बन्ध में बात रखी है। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्यों से यह कहूंगा कि यह समस्या बारी-बारी से पैदा किसने की है। कभी कोई पैदा करते रहे, कभी कोई पैदा करते रहे....लेकिन जहां तक सवाल है इस सरकार का है तो सरकार इस समस्या से बच के भाग जाये ऐसा कतई नहीं है, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभायेगी। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री बहन कु0 मायावती जी ने कई बार बयान दिया कि यह सरकार विकासयुक्त प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध है और जब विकासयुक्त प्रदेश बनाना है तो उसमें गन्ना किसानों की उपेक्षा कैसे हो सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार गन्ना किसानों का जो भी बकाया है, एक-एक पैसा भुगतान करने के लिए कटिबद्ध है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने बात उठाई है मैं समझता हूं कि शायद इस बात का अन्दाजा आपको होगा कि पिछले लगभग एक वर्ष में चीनी का मूल्य बड़े पैमाने पर घटा है यह सभी जानते

हैं। जहां चीनी बनाने की लागत लगभग 1700 रुपये प्रति कुन्तल है वहीं चीनी के जो वर्तमान मूल्य हैं वह लगभग 1470 रुपये है और माह मई में यह लगभग 1300 रुपये प्रति कुन्तल तक पहुंच गये। उत्पादन भी बढ़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30-40 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा और जहां तक भुगतान का सवाल है लगभग 80 प्रतिशत भुगतान मान्यवर कर दिया गया है।

(विपक्ष के कई सदस्यों ने एक साथ कहा कि यह गलत है)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आप लोग बाद में बोल लीजिएगा, अभी परेशान न हों, आप भी कुछ सुनने का माद्दा रखिये, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको, आप तो इतने में ही विचलित हो गये।

मान्यवर, लगभग 80 प्रतिशत भुगतान हो चुका है और सभी चीनी मिलों को सख्ती के साथ भुगतान करने के लिए 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। जहां तक चीनी उपलब्ध कराने की बात है, हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई कि मूल्य के बदले में चीनी ले जायें। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं, तत्कालीन मंत्री थे, उनके जमाने में भी ऐसा हुआ था, यह कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है, यह स्वेच्छा से है, ऐसा मतलब नहीं है कि उनको चीनी ही ले जाना है, नहीं ले जाना चाहते हैं, तो उनको धनराशि का भुगतान किया जायेगा, स्वेच्छा से यह किया गया कि उस दिन जो रेट्स हैं यदि किसान चाहते हैं तो उस मूल्य से ले जा सकते हैं, ले ही जायें ऐसा कतई नहीं है और इससे पहले भी मान्यवर ऐसा हुआ। जहां तक हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय ओम प्रकाश जी ने बात कही कि गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में सरकार शिथिलता बरत रही है, ऐसा मान्यवर, कतई नहीं है। सरकार कहीं भी शिथिलता नहीं बरत रही है। मान्यवर, चीनी मिलों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि 31 अगस्त तक सौ फीसदी भुगतान करना सुनिश्चित करें और इसके एवज में मान्यवर, लगभग 25-30 चीनी मिल मालिकों ने लिख करके दे दिया है और अभी भी लिख करके दे रहे हैं और वह शेड्यूल बना करके दे रहे हैं कि इस तारीख तक हम इतना करेंगे और इस तारीख तक हम इतना करेंगे, 31 अगस्त तक हम कर देंगे और जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ आर0सी0 जारी की गयी है। फिलहाल इस समय तीन चीनी मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी की गयी है कि वह 100 प्रतिशत भुगतान करें और वह तीन चीनी मिलें हैं शेरमऊ, गड़ौरा और नथ्थाबगंज, इनके खिलाफ आर0 सी0 जारी की गयी है। और जहां तक माननीय कौकब साहब ने कहा है कि इतना-इतना भुगतान अभी बकाया है या इतना कम भुगतान इस बार हुआ है। मान्यवर, कम भुगतान नहीं किया गया है इसका तुलनात्मक विवरण मैं बताना चाहता हूं। पहले चीनी निगम की मिलों के बारे में बताना चाहता हूं मान्यवर, 2005-2006 में 340.59 करोड़ रु0 का भुगतान हुआ, 2006-2007 में 360.63 करोड़ रु0 का भुगतान हुआ है। इसी तरह से सहकारी चीनी मिलों के बारे में बताना चाहता हूं कि 2005-2006 में 841.02 करोड़ रु0 का

भुगतान हुआ था, 2006-2007 में 921.85 करोड़ रु0 का भुगतान हुआ। इसी तरह से निजी क्षेत्र की मिलों के बारे में बताना चाहता हूं कि 2005-2006 में 5701.45 करोड़ रु0 का भुगतान हुआ था, 2006-2007 में 7079.33 करोड़ रु0 का भुगतान हुआ। इस तरह से यह पिछली बार से ज्यादा है ऐसा कभी नहीं रहा कि कम भुगतान हुआ (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) जहां तक जो माननीय नरेश अग्रवाल जी ने पूछा कि चीनी मिल मालिकों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें किन बिन्दुओं पर विचार विमर्श हुआ था। मान्यवर, यह बैठक उस समय हुई थी जब माननीय सदस्यों की चिट्ठी आ रही थी या वे हमसे मिल रहे थे और कह रहे थे कि फलां चीनी मिल बन्द होने वाली है और अभी गन्ना खड़ा है। हमने आदेश किये कि एक-एक गन्ना जब तक खेत में खड़ा है तब तक चीनी मिलें बन्द नहीं होंगी। दूसरा बिन्दु उसमें भुगतान के सम्बन्ध में था।

एक बात आयी है कि अभी भी चीनी मिलों के पास गन्ना पड़ा हुआ है या गन्ना खेतों में खड़ा है। अगर ऐसी कोई जानकारी दी जायेगी जो सम्बन्धित चीनी मिल के विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और गन्ना किसानों के हित में फैसला किया जायेगा। उनके अहित में हम कतई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। गन्ना किसानों के हित में कार्य करने के लिए हमारी बहनजी मायावती जी के नेतृत्व में गठित सरकार कटिबद्ध है। जहां तक गन्ना किसानों का सवाल है बहुत से माननीय विधायक गन्ना कृषक हैं। अगर कोई नहीं है तो वह हमदर्द जरूर हैं। मैं भी कृषक का बेटा हूं। क्या-क्या हुआ है उसका हमें अन्दाजा है। हम किसानों के हित में कार्य करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। हमने सुनिश्चित कर लिया है कि उन चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी अगर वह समय से जो शुड्यूल दे रहे हैं और उसके तहत भुगतान नहीं करते हैं तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह पेमेन्ट डिले क्यों हुआ है ? दूसरे जो सिस्टम डेवलप किया गया है गन्ना पर्ची के बारे में उसके बारे में कहना है कि एक ट्रान्सपैरेन्ट सिस्टम बनना चाहिए। वह न बनने के कारण आज वहां माईट इज राईट की स्थिति है। कुछ लोग चीनी मिलों में जाते हैं और जबरदस्ती पर्ची ले करके अपने तरीके से गन्ना डलवाते हैं। जबकि जो वास्तविक गन्ना पैदा करने वाला व्यक्ति है वह मुंह ताकता रहता है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पर्ची सिस्टम अभी तक चलता आया है क्या उस पर अंकुश लगायेंगे एक ट्रांसपैरेन्ट व्यवस्था पर्ची सिस्टम की करेंगे ताकि मिलों के सामने जो घाटे की स्थिति पैदा हुई है उसका एक कारण पर्ची सिस्टम है, वह पैदा न हो नं0 एक और नं0 दो, जो डेवलप्ड कंट्री है जहां पर शुगर काम्पलेक्स बने हुए हैं जहां पर जितने भी बाई प्रोडक्टस आते हैं, मोलेसस जितने आते हैं उसका जब तक सही इस्तेमाल, उसका जब तक सही प्रयोग, उसको दूसरी तरीके से इंडस्ट्री डेवलप करके नहीं करेंगे तब तक गन्ना किसानों की समस्या अपनी जगह खड़ी रहेगी इसीलिए क्या जो बाई प्रोडक्टस

हैं उसका इस्तेमाल करके शुगर काम्पलेक्स बनाने की योजना को प्रोत्साहन देंगे ? यह दो स्पष्टीकरण मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय खन्ना साहब ने जो बात कही है कि पर्ची छीन ले जाते थे। खन्ना साहब भी जानते हैं कि पर्ची छीनने वाले कौन लोग थे और हम भी जानते हैं हो सकता है मान्यवर, आपको भी जानकारी हो। इत्तिफाक से आज उन्हीं के साथ वह बैठे हैं ? तो मैं क्या करूं। हमारे समय में कोई पर्ची छीनकर नहीं ले जायेगा। हम आपको सदन के अन्दर आश्वासन देते हैं जो किसी ने भी पर्ची छीनी, इस तरह की घटना मिली तो सीधा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

जो इन्होंने सुझाव दिया है मोलेसस के सम्बन्ध में यह लिखकर दे दें, हम परीक्षण करा लेते हैं जो प्रदेश के हित में होगा, गन्ना किसानों के हित में होगा उस पर विचार करेंगे। लिखकर दे दें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, दो स्पष्टीकरण हैं एक तो यह कि हर सरकार कहती है कि सब का सब भुगतान करायेंगे, होता भी है 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, दो साल में होगा, आपने कहा 31 अगस्त तक नहीं करायेंगे तो कार्यवाई होगी। क्या विधान में 14 प्रतिशत का प्राविधान है ? हम कैसे आश्वस्त हों अगस्त के बाद सितम्बर, सितम्बर के बाद अक्तूबर हो जायेगा और 31 अगस्त के बाद अगर नहीं मिला तो 14 प्रतिशत आप किसानों को दिलायेंगे नम्बर एक और नम्बर दो हमने दूसरा प्रश्न उठाया था आज कल मिलों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। इस बात का डर है, चर्चा है, दहशत है कि ये कारपोरेशन की मिलें हैं और निगम की मिले बेचने की योजना यह सरकार बना रही है यह सही है या नहीं, ये देचेंगे कि नहीं बेचेंगे। इन दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दे दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश जी ने जो जिज्ञासा जाहिर की है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब आर0सी0 जारी होती है तो उसमें 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के भी आदेश निर्गत किये जाते हैं। जो भी समय से भुगतान नहीं करेंगे, निर्देश के अनुसार भुगतान नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम कारवाई करेंगे और जिनके खिलाफ आर0सी0 जारी होती है। (टोकाटाकी से व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं ब्याज की बात कर रहा हूं। मैंने तहसील के कलेक्शन चार्ज की बात नहीं कहीं है उसके कलेक्शन चार्जेज अलग हैं। वह तहसील का मामला है मैं अपने विभाग की बात कर रहा हूं। देखिये जो भी सम्भव है। जितना आप चिन्तित हैं उतना मैं भी चिन्तित हूं। इसमें आप सब का सहयोग चाहिए। माननीय ओम प्रकाश जी आप जानते हैं कि कितनी बिगड़ी हुई व्यवस्था है बनाने में आप सबका सहयोग चाहिए बिगाड़ने वाले कौन है वह आप सब जानते हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि माननीय ओम प्रकाश जी भी गन्ना मंत्री रहे हैं और उनके समय में जो बीमार चीनी मिले हैं चाहे वह को-आपरेटिव की हों चाहे कार्पोरेशन की हो। उसी समय से एक बात चली थी कि बीमार को बेच दिया जाय या लीज पर दे दिया जाय। मान्यवर, जब आप करते हैं तो सही है और जब हम कदम बढ़ाते हैं तो गलत है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इसमें सही गलत की बात नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आप मेरा पूरा उत्तर तो सुन लीजिए। जी हां, सरकारी चीनी मिलों को बेचने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 प्रतिशत ब्याज को जोड़कर आर0सी0 जारी की जाती है। किसान को पेमेन्ट मिलता है मिल से आर0सी0 आप जारी करेंगे तो उसका पैसा कहां जमा होगा तहसील में जमा होगा जहां भी जमा होगा। क्या आप घोषणा करेंगे सदन में कि जैसे माननीय नेता भाजपा ने पूछा भी था कि वह 15 प्रतिशत जो आप आर0सी0 के साथ ब्याज जोड़ेगे, वह ब्याज गन्ना किसानों को मिलेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, गन्ना किसानों का ही है उनका है तो उनको मिलेगा, 15 प्रतिशत उनको मिलेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आज तक कोई आर0सी0 सबके प्रति नहीं जारी करता खुद तिथियां बढ़ाते हैं और जो बकाया है उसका आश्वासन ये दे नहीं पा रहे हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इतना स्पष्ट तो आप भी नहीं कह पाते।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, गन्ना किसानों के मामले में सरकार गम्भीर नहीं है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री ओम प्रकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत स्पष्टीकरण हो चुका है। अब आप बैठें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, सरकार का जवाब स्पष्ट नहीं आया है जितना भुगतान हमारी सरकार ने किया था उतना आप नहीं कर पा रहे हैं और आंकड़े भी फर्जी दिये जा रहे हैं। गन्ना किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है सरकार मिल मालिकों से मिलकर किसानों को प्रताड़ित करना चाहती है। इसके विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह लोग गन्ना किसानों के हित में कोई काम होते नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए सदन छोड़कर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को सुना, माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को सुना तथा अन्य माननीय सदस्यों को सुना तथा गन्ना मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं।

*श्री राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण और मानव जीवन से जुड़ी समस्या पर मुझे अपनी बात रखने का और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं और बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर महानगर के अन्तर्गत आता है। लेकिन यह समस्या केवल गोरखपुर की ही नहीं है, बस्ती, महराजगंज, देवरिया, सन्त कबीर नगर और यहां तक कि आजमगढ़ तक के मरीज जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, कुछ पश्चिमी बिहार के जिलों के और कुछ नेपाल के, वह सब गोरखपुर मेडिकल कालेज में आ करके अपना इलाज कराते हैं। पिछले सत्रों में हम लोगों ने लगातार यहां पर चर्चा करते रहे, आप सभी अवगत हैं कि पिछले वर्षों से इंसेफेलाइटिस की महामारी जैसी फैलती है। वर्ष 2005 में तकरीबन साढ़े पांच हजार मरीज इस बीमारी के थे, अधिकारिक आंकड़ों में कहा गया था 1593 मौतें हुई थीं, अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हम जानते हैं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करीब-करीब तीन हजार मौतें हुई थीं। गत वर्ष मौतों की संख्या कम थी लेकिन मरीज और मौतें दोनों ही बहुत बड़ी संख्या में गोरखपुर मेडिकल कालेज में हुई थीं। हम लोगों ने सदन में दबाव बनाया था, जनाक्रोश हुआ था।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने रुचि ली थी और इस पीठ पर बैठे हुए तत्कालीन अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने भी रुचि ली थी। उसके आधार पर कुछ काम हुआ था, सारे मरीजों की निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हुई थी। जिनकी मौत हुई थी उन्हें 25 हजार रुपये मिले और जो विकलांग हुए थे उन्हें 50 हजार रुपये प्रति मरीज मिले, ऐसी घोषणा हुई थी। इंसेफेलाइटिस वार्ड और वायरल रिसर्च सेंटर बनाने के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये अवमुक्त हुए थे, जो पिछले दो वर्षों की बात है। अभी इंसेफेलाइटिस का सत्र नहीं आया, इंसेफेलाइटिस अब शुरू होगा, जैसे-जैसे बारिश बढ़ेगी धान के खेतों में पानी लगेगा, हम सभी जानते हैं कि ऐसे ही समय में इंसेफेलाइटिस का प्रकोप होता है। इस वर्ष जनवरी से ले करके मई तक केवल 90 मरीज अभी तक आ चुके हैं और 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। यह आधिकारिक आंकड़े हैं जो स्वयं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की ओर से बताये गये हैं। मैंने वहां देखा है कि किसी भी मरीज को सरकार की ओर से दवा नहीं दी गयी केवल ग्लूकोज बॉटल के, मैं गलत आरोप लगाने का आदी नहीं हूं। एक-एक मरीज से जाकर हम लोगों ने पूछा कि किस प्रकार की दवाएं आपको दी जा रही हैं। ग्लूकोज बॉटल को छोड़कर अन्य दवा उन्हें नहीं दी जा रही है। सबसे दुःखद पहलू यह है कि जिस वार्डों में टिटनेस के मरीज हैं उन्हीं वार्डों में इंसेफेलाइटिस के मरीजों को भी रखा गया है। मान्यवर, टिटनेस और इंसेफेलाइटिस के मरीजों को एक साथ रखा गया है। हम सब जानते हैं कि टिटनेस के मरीज बड़े संक्रामक होते हैं और अगर दोनों के लिए एक ही सिस्टम का उपयोग करते हैं तो टिटनेस की बीमारी फैलकर अन्य मरीजों को भी हो सकती है। हम लोगों ने जा करके इंसेफेलाइटिस वार्ड जो निर्माणाधीन है, वह इस गति से बन रहा है कि मुझे लगता है कि उसको बनने में डेढ़ साल लगेंगे, मैं जब वहां गया था तब वहां नींव का काम हो रहा था। उसके बाद से लेकर पूरा भवन बनना है, पूरी सुविधाएं इक्ट्ठी होनी हैं और उसके लिए स्टाफ की व्यवस्था होनी है तब कहीं जाकर इंसेफेलाइटिस वार्ड प्रारम्भ होगा। यानि कि एक चीज स्पष्ट है कि इस वर्ष इंसेफेलाइटिस आने वाली है, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर यही समय इसके लिए होता है। अगले समय में जब हम लोग सदन में आयेंगे तो स्वाभाविक रूप से मौतों की संख्या ले करके आयेंगे। अगर वह इंसेफेलाइटिस वार्ड जो पैसा दे करके बनाया जा रहा है, अगर वह तैयार नहीं होगा तो उससे मरीजों को क्या लाभ होगा ? इसी तरह से वायरल रिसर्च सेंटर बन रहा है, मैंने स्वयं देखा है 90 प्रतिशत काम हो गया है और तब भी कार्यदायी संस्था 220 लाख रुपये का बजट उसको दिया जाए, ऐसा वह कह रही है। जब मैंने उससे पूछा कि 220 लाख रुपये क्यों चाहिए तो वह उसे बता नहीं पा रहे हैं कि इसके एवज में क्या काम कराना चाहते हैं ? वार्ड बन गया, उपकरण आ गये लेकिन इन उपकरणों पर काम कौन करेगा ? इसके

लिए माइक्रोलाजिस्ट चाहिए, पैथॉलॉजिस्ट चाहिए, वरिष्ठ तकनीशियन चाहिए, काम करने वाले ढेर सारे पैरा मेडिकल स्टॉफ चाहिए। सरकार ने अभी तक इंसेफेलाइटिस वार्ड में और वायरल रिसर्च सेन्टर में स्टाफ की नियुक्ति नहीं की है। जो उपकरण वहां 60 लाख रुपये के आये हैं, अगर प्रयोग नहीं होंगे तो वह खराब हो जायेंगे। इसलिए मेरा सदन से आग्रह है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के बारे में हम लोग बार-बार कहते हैं पहले से ही यह सत्य है कि वहां स्टाफ की समस्या, नर्सेज की समस्या, वार्ड-ब्वाय की समस्या है, जो माननीय सदस्य सत्तापक्ष में बैठे हैं या मा0 मंत्रिगण हैं, वह भी सहमत होंगे, यमुना निषाद जी हाथ उठा रहे हैं, वह सहमत हैं। वहां पर मानक के अनुरूप जो स्टाफ होना चाहिए उससे बहुत कम स्टाफ है। जब हर वर्ष इंसेफेलाइटिस का प्रकोप आता है तो विभिन्न सरकारी अस्पतालों से हम लोग डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज आदि को शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके मरीजों के देख-रेख की व्यवस्था करते हैं। अंतिम बिन्दु गत वर्ष एक साल से 15 साल तक के लगभग 60 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया था। इस टीके को लेकर जो चिकित्सकों का कहना है कि सिर्फ एक डोज से टीकाकरण पूरा नहीं होता है टीकाकरण का दूसरा डोज होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि यह सरकार जिस भी कम्पनी से टीका मंगाया गया सदन में इस बात का जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर दे कि क्या उस टीके के बाद दूसरा टीका लगाने की वैज्ञानिक आवश्यकता है या नहीं ? जिससे दूसरा टीका न लगाया जाए और बीमारी दुबारा हो तो पहले टीका लगाने के नाते जो पैसा बर्बाद हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय हो जाए।

इसी सदन में कहा गया था कि सुअरों को बस्तियों से हटाकर सुअर पालकों को अलग बसाया जायेगा, अलग बाड़े बनाये जायेंगे और सुअर पालन करने वाले लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सकें, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। इसी सदन में सरकार ने सारे आंकड़े दिये थे कि किन क्षेत्रों में कितने सुअर हैं और कहां-कहां से हटाकर कहां बसाये जायेंगें ? सवाल है कि अब तक यह काम नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री जी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, पहले भी रहे हैं आप बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की समस्याओं से अवगत भी हैं। जो बिन्दु मैंने उठाये हैं, पहला टीकाकरण के बारे में दूसरा सुअरों को हटाने के बारे में, इंसेफेलाइटिस वार्ड प्रारम्भ करने के बारे में, वायरल रिसर्च सेण्टर में स्टाफ और डाक्टरों की नियुक्ति के बारे में, इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए इसके लिए धन अवमुक्त हो वहां पर पहुंचे और मरीजों को वास्तविक रूप से लाभ मिल सके उसके बारे में, जो मरेंगें और जो विकलांग होंगें उनके लिए पिछले वर्ष जो 50 हजार और 25 हजार रूपये की व्यवस्था हुई थी उसके बारे में और मेडिकल कालेज में जो पैरा मेडिकल स्टाक की कमी है उनके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है इसी विषय को लेकर मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से इस विषय पर अपना वक्तव्य देगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह समस्या बड़ी रही है, वायरल इंसेफेलाइटिस/जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम हेतु मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण कार्ययोजना 2007 बनायी गयी है जिसमें इस रोग पर नियंत्रण एवं उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश समस्त जनपदों को भेजे गये है। इस रोग से वर्ष 2005 में प्रभावित 34 जनपदों में कुल 5,581 रोगी तथा 1593 मृतक हुए थे। वर्ष 2006 में प्रभावित 22 जनपदों में 2075 रोगी तथा 476 मृतक हुए थे। वर्ष 2007 में 26 जून, 2007 तक प्रभावित 9 जनपदों में इंसेफेलाइटिस के 108 रोगी तथा 32 मृतक हुए हैं। जे0ई0 डेंगू के कारण किसी की भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है। सरकार इस रोग के उपचार और रोकथाम के लिए सजग है। उक्त रोग के निदान हेतु चीन से आयातित सिंगल डोज वैक्सीन से 1 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है। इसके लिए द्वितीय व तृतीय डोज की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2006 में सर्वाधिक संवेदनशील 7 जनपदों गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर तथा लखीमपुर खीरी के एक साल से 15 साल आयु वर्ग के 66.36 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया। वर्ष 2007 में प्रदेश के 11 जनपद बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, रायबरेली, श्रावस्ती, सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, मऊ एवं अम्बेडकरनगर के एक साल से 15 साल तक की आयु वर्ग के 94.99 लाख बच्चों का टीकाकरण मई/जून, 2007 में कराया जा चुका है।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में भारत सरकार की सहायता से वेस्टर्न डिजीज कन्ट्रोल यूनिट स्थापित की गई है। गोरखपुर में वायरल सब सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। विकलांग कल्याण विभाग द्वारा बी0आर0डी0गोरखपुर में रिहैबिल्टेशन सेन्टर की स्थापना की जा रही है। सुअर बाड़ों को घनी आबादी से 5 कि0मी0 दूर स्थापित करने के लिए निर्देश समस्त जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 2,79,295 कुओं का विसंक्रमण कराया गया 1,02,383 ओ0आर0एस0 के पैकेट बांटे गये 3,29,449 क्लोरीन की गोलियां वितरित की गई। 27 ग्राम व मुहल्लों में फागिंग कराई गई। इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो सदस्य डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने चिन्ता व्यक्त की है और बी0आर0डी0 में जो सेन्टर निर्माण की देरी की बात की है मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसको समय से पूरा किया जायेगा। धन की कमी आड़े नहीं आएगी। जहां तक स्टाफ की तैनाती का सवाल है मैं आप लोगों के साथ और जो गोरखपुर के सदस्य हैं बैठकर बी0आर0डी0मेडिकल कालेज में जो समस्याएं हैं जिस तरह की कमियां रही है उनको दूर करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा इसका विश्वास दिलाता हूं। आप लोगों के जो भी सुझाव आएंगे उन पर अमल करने का प्रयास किया जायेगा और बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को टीक रास्ते पर लाने का काम करेंगे। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। जहां तक कार्य स्थगन का सवाल है यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं दो तीन बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार ने सदन में बताया कि ओ0आर0एस0 के एक लाख पैकेट वितरित किए गए क्लोरीन की 30 लाख टेबलेट्स वितरित की गई मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन दोनों से इन्सेफलाइटिस को रोकने में मदद कैसे मिलगी। इन का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होता है। सदन में अधिकारियों द्वारा गलत सूचना दी गई है। अधिकारियों ने एक उपहासात्मक जबाब तैयार किया है। इसे किसी मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने तैयार किया होगा, ए0डी0 हेल्थ ने तैयार किया होगा उन्हें यह मालूम होना चाहिए था कि इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम में ओ0आर0एस0 व क्लोरीन टेबलेट्स का कोई रोल नहीं होता है। मंत्री जी इस बात की जांच कराएं और जिन भी अधिकारियों ने जवाब दिया है उनके विरूद्ध कार्यवाही करके सदन को बताएं। दूसरी चीज फागिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जब तक एरियल फागिंग नहीं होगी तब तक इसकी रोक-थाम नहीं होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एरियल फागिंग नहीं हुई। मंत्री जी अभी भी समय है बरसात शुरू हो जाएगी उसके 20 दिन के अन्दर यह बीमारी महामारी का रूप ले लेगी इसलिए अभी फागिंग करा लें ताकि होने वाली मौतों को बचा सकें। इसलिए क्या यह सरकार उस क्षेत्र में फागिंग कराने की घोषणा कराके समय से पहले फागिंग कराने की घोषणा करके, क्या इस बीमारी की रोकथाम करेगी। तीसरी बात जो आपके सेन्टर है, इंसेफेलाइटिस वार्ड है आपने इसके बारे में कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें समय बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक स्टाफ की भर्ती की जाएगी कब तक यह वार्ड चालू हो जाएगा। कब तक इंसेफेलाइटिस वार्ड में मरीजों की भर्ती होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज आपने कहा कि 50 हजार और 25 हजार रुपये की जो परम्परा बनी हुई है मरने वाले विकलांग बच्चों के लिए 50 हजार, 25 हजार है इसके बारे में कुछ सदन में कह दें।

श्री लालजी वर्मा-

ओ0आर0एस0 क्लोरीन के बारे में कहा, जहां तक मुझे जानकारी है दूषित जल से इस बीमारी पर असर पड़ता है। पानी दूषित न मिले इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा सवाल यह किया कि यह सेन्टर कब तक चालू होंगे। जो भी बीमारी की रोकथाम के लिए हो सकता है मैंने पहले भी कहा सुझाव लेकर, बैठक करके समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जब स्पष्ट हो तो समस्या के पूर्व कार्यवाही कर लेनी चाहिए। इस बीमारी का दूषित जल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बीमारी का सम्बन्ध है सुअर से धान के खेत से।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने कहा सहयोग लेना चाहते है निश्चित रूप से गोरखपुर या पूर्वांचल के जिन क्षेत्रों में इस बीमारी का आंतक बढ़ता है निश्चित रूप से यह हमारे लिए खेद का विषय है। हम इस

सम्बन्ध में जो हमारे इस तरह के साथी हैं सदस्य हैं जिनको इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी है वैज्ञानिक भी हैं उनका सहयोग लेकर ही हम इस बीमारी को दूर करने का काम कर सकते हैं। यह दावत दे रहे हैं आप चाहेंगे तो दो-तीन दिन के अंदर ही, एक हफ्ते के अंदर ही बैठक करके निश्चित रूप से इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

सब बात आ गई है।

श्री लालजी वर्मा-

हमारी भी चाहत है आपकी भी चाहत है कि आम जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो। क्योंकि इस बीमारी के द्वारा जो आदमी जीवित रहता है वह भी पंगु हो जाता है और वह पूरे परिवार पर भार हो जाता है। इसलिए हम भी उतने चिन्तित हैं जितने कि आप चिन्तित हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है हम आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं और जल्दी ही इसमें, जब कल सदन के बाद हम लोग अगले हफ्ते बैठेंगे उस अगले सप्ताह हम समय निश्चित करके, आप लोगों के सुझाव के अनुसार जो सकारात्मक कदम उठाना होगा वह उठाया जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं राधा मोहन दास जी ने प्रश्न पूछा अगर आपने उसका उत्तर दे दिया होता तो मुझे पूछने की आवश्यकता न पड़ती। पिछली सरकार मुलायम सिंह यादव जी की थी। उस सरकार ने प्रबन्ध किया था कि इंसेफेलाइटिस से पीड़ित हो जाने के कारण जो लोग विकलांग हो जाते है उन पीड़ित लोगों को जो 50 हजार और 25 हजार अनुदान दिया जाता था उसको देने पर क्या सरकार विचार कर रही है उसको क्यों बंद कर दिया गया उसको कान्टीन्यू करें। दूसरी बात इंसेफेलाइटिस फैलने के वह कारण नहीं हैं जो आमतौर से दूसरी पानी से फैलने वाली बीमारियों के कारण हैं। विशिष्ट स्थिति है और चिन्हित जिले हैं। जो जनपद चिन्हित हैं हमारे, वहां इंसेफेलाइटिस का बड़ा विस्तार और प्रभाव है। सुअर का जहां आवास है वहां इंसेफेलाइटिस की बात है मुख्य कैरियर इंसेफेलाइटिस का है। सुअर जहां पाले जाते हैं वहां इसको रोका जा सके इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा उसका टीका है, जो विशेष है, वह चीन से आता है और वह भारत सरकार के माध्यम से आता है। उसकी जो उपलब्धता है, उसकी उपलब्धता के आधार पर और जो एजग्रुप है, उसको चिन्हित करके अगर पूरा टीकाकरण करायेंगे, तभी फायदा मिलेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना अब तक सामने नहीं आई है, टाइम निकल जायेगा तो कठिनाई होगी। इस बीमारी का इलाज बहुत मंहगा

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है इसलिए इसकी रोकथाम करने का काम पहले जरूरी है। इसकी रोकथाम कैसे होगी यह चिन्ता का विषय है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पहले जो 50 हजार और 25 हजार रुपये दिए जाते थे, उसके बारे में मंत्री जी बतायें और दूसरे इसकी कार्य योजना की अन्तिम तैयारी की घोषणा किस तिथि तक कर देंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मा0 चौधरी साहब ने मेरा उत्तर नहीं सुना। उस समय वह लाबी में थे या चले गये थे मा0 आज़म खां को मनाने। मैंने पहले बताया कि 11 जनपदों बस्ती, गोण्डा, रायबरेली, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, मऊ, अम्बेडकर नगर आदि में 1 से 15 वर्ष आयु वर्ग तक के 94.99 लाख बच्चों का टीकाकरण मई जून, 2007 में कराया जा चुका है। इसके पहले 7 जनपदों गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, संतकबीर नगर आदि में टीकाकरण कराया गया था, उसके बाद 11 जनपदों में टीकाकरण कराया जा चुका है। निश्चित रूप से सरकार इस पर चिन्तित है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह पिछली सरकार की कार्य योजना थी, आप अपनी कार्य योजना बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

मई जून, 2007 में जो टीकाकरण कराया गया, मैंने उसे बताया। मैंने स्वयं ही कहा कि हम बैठकर विचार करेंगे। जो इसके जानकार हैं, डा0 पी0के0 राय, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, इन सारे लोगों से राय लेकर उसके अनुसार कार्यवाई की जायेगी। दूसरी बात जहां तक सवाल है 25 हजार और 50 हजार रुपये देने का तो मैंने तो नहीं सुना कि एक साल में कहीं किसी को यह पैसा मिला हो। एक साल के अन्दर शायद ही किसी को मिला हो। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास उसकी आथेन्टिक न्यूज नहीं है लेकिन जहां तक जानकारी है उसके अनुसार पिछले एक वर्ष में शायद ही मिला हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

शायद का प्रश्न ही नहीं है जो पीड़ित थे, उन सबको मिला है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको निरस्त करता हूं।

अगली सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की है।

*श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, जनपद उन्नाव पेयजल समस्या से अत्यधिक ग्रसित है। उन्नाव जनपद में एशिया का सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त पानी है। वहां के पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण बच्चे अपंग होते चले जा रहे है। अगर एक साल में उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया गया, वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं करायी गयी तो वहां के बहुत से लोग अपंग हो जायेंगे। मुझे ऐसी भी आशा है कि यह सरकार 5 साल तक सदन में पानी पिलाने का काम करेगी उसी प्रकार आशा है कि वह प्रत्येक गांव में भी शुद्ध पेयजल दे सकेगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

यह जन-जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री लालजी वर्मा-

जी, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुन्दर लाल जी और संसदीय कार्यमंत्री को सुना, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसे निरस्त करता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद सिद्धार्थनगर पहुंचने के लिए बस्ती से एकमात्र रास्ता लुम्बिनी दुद्धी मार्ग है जिसमें 47वें कि0मी0 पर पुल पड़ता है वह टूट गया है। चुनाव के बीच में वैकल्पिक रूप से पीपा पुल बनाया गया है जिसकी अवधि 30 जून, 2007 को समाप्त हो रही है और वह पुल टूट जाएगा जिसमें हमारे जनपद की तीन तहसीलें बांसी, डुमरियागंज और इटवा से जिला मुख्यालय जाने के लिए 25 कि0मी0 चलकर जाना पड़ेगा। जबकि इस पुल के रहने से जनपद मुख्यालय की दूरी 25 से 50 कि0मी0 रह जायेगी। पक्के पुल के टूट जाने से एवं पैटून ब्रिज की समयावधि समाप्त होने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। जगह-जगह धरना-प्रदर्शन हो रहे है। कभी भी कोई घटना घट सकती है। अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गयी थी। मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं और इस पर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें कार्यवाही हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लें। एक और माननीय सदस्य श्री इमरान मसूद जी का व्यक्तिगत मामला है लेकिन वह इस समय नहीं हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

डा0 आ0 ए0 उस्मानी, श्री राम किशुन, हाजी जमीरउल्ला खां, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री महेश चन्द्र गुप्ता और श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

आदित्य जी, आप आभारी कैसे हो गये जब हमने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं आपका आभारी होउंगा कल आप अपनी सूचना दे दीजिएगा ताकि वह नियम से आ जाए। प्रदीप जैन 'आदित्य' जी आपकी सूचना को नियम-51 में लिया गया है। उसमें वक्तव्य आ जाएगा।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

मान्यवर, एक विधेयक बना था और उस विधेयक के माध्यम से विश्वविद्यालय बना था और उस विश्वविद्यालय को समाप्त करने के लिए एक निरसन विधेयक भी आया क्योंकि वह विश्वविद्यालय अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर पा रहा था इसलिए निरसन विधेयक की आवश्यकता पड़ी। मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि उस विश्वविद्यालय से क्या अपेक्षायें थीं और उन अपेक्षाओं में वह क्यों खरा नहीं उतरा और किन-किन जिम्मेदारियों को उस विश्वविद्यालय ने नहीं निभाया ? मान्यवर, एक महाविद्यालय है और उस महाविद्यालय को हम विश्वविद्यालय बना दें। विश्वविद्यालय बनाने से हमारा तात्पर्य यही होता है कि वह और मजबूती के साथ उस क्षेत्र में काम करे। महाविद्यालय किसी न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होता है। जिस क्षेत्र में काम होना चाहिए सम्भवतः वह क्षेत्र महाविद्यालय को प्राप्त नहीं होता। मान्यवर, आज तक मेडिकल क्षेत्र में जितनी रिसर्च दस-पन्द्रह सालों में दन्त चिकित्सा पर हुई है उतनी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुई है। एक तरह से क्रान्ति आयी इस क्षेत्र में। यूरोप अमेरिका और भारत वर्ष भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। मुझे खुशी है कि लखनऊ ने इस क्षेत्र में नाम प्राप्त किया। नाम आप कुछ भी दे दें, सारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्व में इस बात की चर्चा है। अगर पूर्ववर्ती सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो आप उससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं, आपको तकलीफ इस बात की हो रही है कि आपको यह काम करना चाहिए था उन्होंने क्यों कर दिया।

मान्यवर, एक अच्छा काम हो गया और अच्छा काम होने के बाद यह समझा गया कि महाविद्यालय की विश्वविद्यालय तक ले जाया जाय, इस क्षेत्र में और अच्छी खोज हो सकें और अच्छा काम हो सके, जो उपलब्धि अब तक हमारी हुई है उसमें और चार चांद लग सकें, तो आपको परेशानी क्या हो गयी। केवल इस कारण से कि किसी और सरकार ने यह काम किया है, केवल इस कारण से आपको बिन्दु यह खोजना है कि कैसे उस बिन्दु को बिस्वार करके एक नई बात लायी जाय, भले ही इससे प्रदेश का नुकसान हो जाय इस बात की चिन्ता नहीं है। इस विश्वविद्यालय को बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे, वी0सी0 लगे होंगे, अलग-अलग फैकल्टी अपग्रेड हुई होंगी, उसके मानक बने होंगे, करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे आज इस बात की आपको चिन्ता नहीं है। आप आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री दोनों को समेटे बैठे हैं। आपने इस बात की समीक्षा की कि जब आपने इस विभाग को संभाला तब आप वहां पर गये, कभी आपने वहां के कुलपति से बात की। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एक साल में क्रान्ति लाकर इस विश्वविद्यालय को विश्व स्तर का बनाने का प्रयास करेंगे लेकिन आप नहीं बना पाये इसलिए हम आपके काम से सन्तुष्ट नहीं हैं। आपने शपथ ग्रहण करने के बाद जो पिछली सरकार ने काम किया उसको बिस्वारकर एक नई नींव रखने और हर नींव पर हमारा नाम होगा, हम अलग उसे अंकित करेंगे यह कौन सी अच्छी सी बात है। मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते यह सोच रहा हूं कि हमारी सोच इतनी संकीर्ण हो गयी है क्योंकि पिछली सरकार ने किया इसलिए हम इसे सहन नहीं करेंगे, हम विश्वविद्यालय बनायेंगे। विश्वविद्यालय तो आप और बना ही रहे हैं। दूसरे नामों से बना रहे होंगे। मान्यवर, कोई चीज परमानेंट नहीं रहती। पांच साल बाद दूसरी सरकार आयेगी और वह सरकार भी आपकी सरकार के अच्छे कामों को पलट देगी यह हो सकता है।

मान्यवर, मैंने पहले भी चर्चा के दौरान कहा था कि सरकार तो एक कन्टीन्यूड इंस्टीट्यूशन है, इसके सम्भालने वाले बदलते रहते है। लेकिन सम्भालने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि यह कन्टीन्यूटी बनी रहे, हमें इनकी कन्टीन्यूटी ब्रेक अप नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, हालांकि इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं फिर भी इशारा करना चाहता हूं। मान्यवर, आज दो दलों में कम्प्टीशन लग गया है और एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है एक दूसरे के नामों को बदलने का। एक सरकार आयी और उसने अपना नाम दे दिया, हमने उसमें सहमति व्यक्त कर दी, फिर दूसरी सरकार आयी उसने कहा कि कैसे उसने अपना नाम दे दिया था, उसने अपना नाम दे दिया। यह खिलौना बना रखा है। प्रदेश सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि इन संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने इस विश्वविद्यालय को

बनाया था उनका बड़ा दिल होगा, इस प्रदेश के बारे में उन्होंने कुछ सोचा होगा। इस गरीब जनता के बारे में सोचा होगा उन्होंने कि इन कालेजों के द्वारा, महाविद्यालयों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा हम यहां की जनता की सेवा कर सकेंगे आपको तो केवल नाम बदलने की लगी है, आपने नाम बनाया दूसरा, नाम बदला दूसरा दिया इन्होंने बदल दिया अब इन्होंने नाम बदल दिया तो आप लोगों से सहन नहीं हुआ। आप भी नाम के पीछे लग गये। शपथ लेते ही इसी काम पर लग गये कि नाम बदल दो दोबारा जाकर के, मान्यवर, कहीं तो इसके ऊपर फुलस्टाप लगेगा। यहां तो सरकार का जो कार्य चल रहा है, फुलस्टाप तो बहुत दूर की बात है यहां तो कामा भी नहीं लगता है बस सरपट चले जा रहे हैं। सबसे पहले काम हमारे ख्याल से यही किया किसानों के भुगतान की बात तो चल रही थी, कहीं 31 अगस्त की तारीख लग रही थी, कहीं दूसरी तारीख लग रही है, कहीं आर0सी0 की बात कही जा रही है लेकिन नाम बदलने में कोई तारीख नहीं लगी न कोई देर लगी और मान्यवर, विश्वविद्यालय को तोड़ करके, गिरा करके, उसको महाविद्यालय बनाने में भी कहीं कोई देर नहीं लगी। अच्छा करते विश्वविद्यालय बनने के बाद में आप कहते कि विश्वविद्यालय तो है ही केवल लखनऊ स्तर का विश्वविद्यालय ही नहीं हम इसको विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बनायेंगे और यहां पर और फैकेलिटी खुलेंगी, बाहर से एक्सपर्ट आयेंगे ताकि हमारा एक नाम हो, इस लखनऊ का नाम हो, इस उत्तर प्रदेश का नाम हो। वर्मा जी आप अच्छे व्यक्ति हैं मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है, सच बता रहा हूं और कुछ ही लोग हैं जो इसके लिए पात्र भी हैं, आप भी उनमें से एक हैं।

मजबूरियों में आप काम कर रहे हैं, आपको मैं जानता हूं इसमें मैं किसी को दोष भी देना नहीं चाहता हूं, हमारे सब सहयोगी बैठे हुए है यहां पर, लेकिन कहीं तो आवाज उठाया करो अपनी। आप और हम कैबिनेट में साथ बैठे हैं, हमारे मन की बात नहीं होती थी तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं होता था, कि कौन निकालेगा, कौन रखेगा [illegible] अपने मन की बात रखते थे, लेकिन आज बिल्कुल ऐसे आप सिकुड़ कर बैठ गये, आप एक बार कम से कम [illegible] तो सही मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, आप एक बार अपनी बात कहते तो सही, लेकिन आपके मुंह पर भी ताले लग गये, जनता के हित की बात भी करना बन्द कर दिया आपने और यही देखते रहते हैं कि कहीं देख लें मुस्करा रही हैं या गुस्से में हैं, उसी तरह गर्दन घुमा लेते हैं अपनी जाकर के, परिणाम क्या हो रहा है ? परिणाम यह हो रहा है कि लोकतन्त्र में जनता के साथ में जो आपको न्याय करना चाहिए था वह आप नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप न्याय करते तो मुझे विश्वास है कि इन बातों के ऊपर विचार किया जाना चाहिए था आखिर क्यों एक विश्वविद्यालय को कुछ ही क्षणों में फिर से महाविद्यालय बना दिया गया। मैं आग्रह करना चाहता हूं और मेरा आपसे एक निवेदन है कि ऐसा मत करो, आप खड़े होकर घोषणा करो, नहीं कोई अध्यादेश होगा, सब पास, जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था हम आने वाले दिनों में इस विश्वविद्यालय को और चार-चांद लगायेंगे। मान्यवर, धन्यवाद। (श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अम्बिका चौधरी जी अब सब बातें तो आ गयी हैं।

श्री लालजी वर्मा-

टीक है आप भी कह लीजिए अपनी बात, लेकिन जानकारी करके कहिएगा, जैसे माननीय हुकुम सिंह जी ने अपनी बात रख दी बिना पढ़े, बिना जाने कि क्या हुआ है वास्तव में, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जानकारी करके ही चर्चा करें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

पूरी जानकारी है।

श्री हुकुम सिंह-

सही बात है मान्यवर, अगर कोई रिसर्च इन्होंने की है और इसमें 10-05 दिन के अन्दर रिसर्च पेपर भी इनका तैयार हो गया, क्योंकि हम तो अगर जानकारी करते तो हमको वर्षों लगते किसी विषय की जानकारी करने में, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, जानकारी तो इस कागज से लग रही है। जितनी जानकारी आपने इस कागज में लिखा है वह आपकी जानकारी का प्रतिबिम्ब है जो यहां पर मेरे सामने है, आप कहिए जो कुछ भी आपको कहना होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका, आपने मुझे समय दिया और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह सुझाव दिया कि जानकारी करने के बाद अपनी बात का कहना ज्यादा मुनासिब होता है। मैं बहुत आभार के साथ उनका यह सुझाव उनको पुनः प्रेषित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव के अनुसार ही खड़े है न ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उनको पुनः यह प्रेषित करता हूं उन्होंने मेरे लिए अच्छी भावना की, मैं उसको बढ़ा कर उनके लिए कहना चाहता हूं कि किसी काम को करने के पहले, विचार करने की ज्यादा आवश्यकता होती है चर्चा करने पर तो विचार की आवश्यकता होती ही है और आपने यह विधेयक रखते समय इस बात पर विचार ही नहीं किया कि इसको रखने की क्या आवश्यकता थी और जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं वह कितना घातक है यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के अन्दर कुछ मेडिकल कालेजों और कई डेण्टल कालेजों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापना हुई और उनकी संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुल डेण्टल कालेजों की संख्या, मेडिकल कालेजों की कुल संख्या से ज्यादा है। उनको रेग्युलेट करने के लिए उनका ठीक से संचालन करने के लिए, उसमें विभिन्न विभागों की स्थापना के लिए और उन विभागों की उपलब्धियों के लिए ठीक से यह छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें और उसका इस्तेमाल समाज के लिए समुचित ढंग से हो सके उनके लिए इस विश्वविद्यालय के कितनी आवश्यकता थी, मान्यवर और उस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उन कारणों से हुई कि दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए एक माहौल इस प्रदेश में बने। हर स्थान और देश की दूसरी जगहों से आकर लोग उसमें पढ़ें और उत्तर प्रदेश में उनके लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसमें सुविधा उत्पन्न हो सके। इस नाते इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस कारणों से नहीं की गयी कि फलां का नाम उसमें रखना है। आप देखें कि किसी का नाम रखने के लिए होड़ कहां थी, यह आप जानते हैं। यह होड़ पिछली सरकार में नहीं थी। एक ऐसी संस्था जो सैकड़ों वर्षों से अपनी प्रतिष्ठा के साथ सारी दुनिया में जानी जाती थी जिससे पढ़कर निकलने वाले छात्र सारी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय का किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय नाम होने से आज उस मेडिकल कालेज की प्रतिष्ठा है। और उसी मेडिकल कालेज की तर्ज पर एक डेण्टल यूनीवर्सिटी बनाने का फैसला हुआ। अब उस फैसले को बदलने के लिए आनन फानन में सिर्फ बदले की भावना से काम हो रहा है।

मान्यवर, आज देखें कि राजनैतिक द्वेष की भावना से कितना उत्पीड़न का काम हो रहा है। फर्जी मुकदमें कायम किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वह एक अलग सवाल है। लेकिन शिक्षा के माहौल में जहां चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में विशेषज्ञता उत्पन्न करने की बात है वहां यह बात हो रही है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी चिकित्सा शिक्षा के मंत्री जी भी हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी विशेष तौर पर इस सदन के विचारवान सदस्य हैं। इसलिए आपके कार्यकाल में इस तरह का एक कार्य हो जाये और जिसके लिए यह प्रदेश हमेशा आपको दोष देता रहे और एक ऐसी घटना हो जिसके लिए एक कलंक आपके सिर पर आये, वह न आये इसलिए जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय हुकुम सिंह जी ने रखा है उस पर विचार करने के साथ-साथ इस विधेयक को वापस ले लिया जाय। आज आप उस दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए निरसन के लिए विधेयक लाये हैं उसे वापस लेने का काम करें और उस विश्वविद्यालय का सुदृढ़ीकरण करने के लिए एवं उसमें अन्य दूसरे विभागों की स्थापना करने के लिए घोषणा करें। ताकि बेहतर से बेहतर दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा लेने के लिए इन्तजाम किया जाय। मान्यवर, उस दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं जब विधेयक प्रस्तुत कर रहा था तो मुझे लगा था कि इस निरसन विधेयक का सभी माननीय सदस्य स्वागत करेंगे। मान्यवर, मैं माननीय हुकुम सिंह जी और सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत जल्दबाजी में किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी थी। दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सुदृढ़ीकरण के लिए, कोई प्रगति के लिए इसका गठन नहीं किया गया था। वहां एक ऐसी स्थिति ऐसी हो गयी थी कि इस विश्वविद्यालय और चिकित्सा विश्वविद्यालय में जाने के बाद कोई भेद नहीं कर पाता था कि कौन सा दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय है और कौन सा चिकित्सा विश्वविद्यालय है। सारे विषयों की पढ़ाई चिकित्सा विश्वविद्यालय में होती थी और परीक्षा चिकित्सा विश्वविद्यालय ले लेती थी और डिग्री उनको चिकित्सा विश्वविद्यालय से मिलती थी। मान्यवर, जिसके कारण कई दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेम्बर हैं और चाहे चिकित्सा विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेम्बर रहे हों दोनों की, 99 प्रतिशत सदस्यों की राय थी इस विश्वविद्यालय को यानी चिकित्सा विश्वविद्यालय को चिकित्सा विश्वविद्यालय में मर्ज कर दिया जाय और बिना गये किये हुए न चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरक्की हो पायेगी और न दन्त चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरक्की हो पायेगी। मान्यवर, यू0जी0सी0 के नार्म्स के अनुसार भी जो मान्यता की व्यवस्था है उसमें है कि कम से कम दो फैकल्टी होनी चाहिए। मान्यवर, जब दो फैकल्टी के अलग-अलग विश्वविद्यालय बना दिये गये तो इतनी हास्यास्पद स्थिति कहीं देखने को नहीं मिली। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा कदम कदम उठाया गया है वहां के फैकल्टी मेम्बरों और छात्रों के हित में उठाया गया है। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि विश्वविद्यालय को समाप्त करके महाविद्यालय बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय को मिटाया नहीं जा रहा है, विश्वविद्यालय तो बल्कि उस विश्वविद्यालय का जो मेडिकल विश्वविद्यालय है उसका एक हिस्सा फैकल्टी बनाया जा रहा है और दोनों फैकल्टी मिलकर इस प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा कर पायेंगे ऐसा हमारा मानना है। निश्चित रूप से यह एक जनहित से जुड़ा हुआ कार्य है और आज मैं माननीय चौधरी साहब से आग्रह करना चाहता हूं और माननीय हुकुम सिंह से भी आग्रह करना चाहता हूं चिकित्सा विश्वविद्यालय में चले जाय चाहे डेन्टल फैकल्टी में चले जायं चाहे मेडिकल फैकल्टी में चले जायं और सभी फैकल्टी मेम्बरों से राय ले लें। इन्होंने कहा कि बैठकर शपथ लिया और यहीं से निर्णय हो गया। मैंने वहां पर जाने का काम किया और दोनो फैकल्टी मेम्बरों से राय ले लें। इन्होंने कहा कि बैठकर शपथ लिया और यहीं से निर्णय हो गया। मैंने वहां पर जाने का काम किया और दोनों फैकल्टी के मेम्बरों की राय जानने का भी कार्य किया और उनकी राय के अनुसार मैंने इस विधेयक को इस अध्यादेश को लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कैबिनेट में।

मान्यवर, निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा विधेयक है। प्रदेश की आम जनता का इससे हित होना है और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी

दुनिया में एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं, इसमें किसी तरह से हम समझौता नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, नाम की चर्चा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब समाजवादी पार्टी के लोग किसी अंग्रेज के नाम पर बनी संस्था के किसी अंग्रेजी नाम की हिमायत करते हैं, 100 वर्ष से ज्यादा तक अंग्रेजों की हुकुमत रही, उस हुकुमत को मिटाने के लिए इस देश के लोगों ने तमाम बलिदान देने का काम किया और उसके बाद भी हमारी पहचान अंग्रेज के नाम पर रहे और अंग्रेज का नाम अगर नहीं रहेगा तो हमारी पहचान खत्म हो जायेगी इससे बड़ा सोचनीय प्रश्न क्या हो सकता है ? ऐसी मानसिकता को हम क्या कहें ? हमारी पहचान हमारे देश के विद्वानों के माध्यम से हो सकती है, हमारी क्वालिटी के माध्यम से हो सकती है, हमारी विद्वता के माध्यम से हो सकती है। तमाम ऐसे महापुरूष जो भारत में पैदा हुए। वह किसी नामवर परिवार में पैदा नहीं हुये। डा0 भीमराव अम्बेडकर किसी नामवर परिवार में पैदा नहीं हुये लेकिन अपनी विद्वता के कारण उनका नाम हुआ। इसी तरह छत्रपति शाहू जी महाराज, जिन्होनें सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़कर अपने राज्य में 1902 में आरक्षण लागू करके समतामूलक समाज की स्थापना का कार्य किया था, वह भी किसी नामवर परिवार में पैदा नहीं हुये थे। आज भी जो मेडिकल कालेज अंग्रेज के नाम पर बना हुआ है, उसको उच्चीकृत करके हमने विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है तो क्या कष्ट आपको होने लगा, यह मुझे समझ में नहीं आया ? जब समाजवादी पार्टी के लोग डा0 लोहिया के नेतृत्व में 1967 में अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन चला रहे थे, वह समाजवादी पार्टी के लोग अंग्रेजों के कितने गुलाम हैं, यह इस नामकरण की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से नामकरण का, आज जो विधेयक आया है, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उसको हमने पहले पास किया है फिर अगर आयेगा तो हम उस पर विचार करेगें और उसमें अपनी बातें रखने का काम करेगें।

आज दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं रहा होगा कि केवल 40 फैकल्टी मेम्बर और एक विश्वविद्यालय। एक फैकल्टी का एक विश्वविद्यालय। ऐसे में कहां से इसका हित होगा ? माननीय चौधरी साहब ने कहा पूरे प्रदेश में डेन्टल कालेजों की संख्या बढ़ने के कारण उनका बढ़िया नियंत्रण हो इसके आधार पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। मुझे लगता है कि माननीय चौधरी साहब अपने उस विधेयक को याद नहीं कर रहे हैं, जब उन्होनें इसी सदन में लाकर उसे पास किया था कि यह जो चिकित्सा दंत विश्वविद्यालय है, इससे केवल एक संकाय अकेले यूनिवर्सिटी यहां पर रहेगी, इससे किसी भी दूसरे डेन्टल कालेज को उससे सम्बद्ध नहीं किया जायेगा और यह बिल पास किया गया, कहां उससे उस पर नियन्त्रण हो रहा है ? अगर सभी डेन्टल कालेजों को नियन्त्रित करने के लिए, उसमें क्वालिटी डेवलप करने के लिए, इस सम्बन्ध में बात होती तो विधेयक लाकर इसे आवासीय विश्वविद्यालय, केवल कैम्पस का विश्वविद्यालय बनाने का काम चौधरी साहब न किये होते। निश्चित रूप से ऐसा कोई विचार नहीं था यह केवल एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई

थी। हम किसी एक मित्र के लाभ के लिए देश और प्रदेश के खजाने को खाली करें, निश्चित रूप से ऐसे लोग जो एक साधारण किसान परिवार से, न पढ़े लिखे मां-बाप परिवार से जो लोग आये हैं, हम नहीं समझते कि ऐसा उचित होगा। निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं थी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसकी एक फैकल्टी थी, और मैं माननीय हुकुम सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जितने भी कार्य हुए हैं, फैकल्टी के रूप में स्थापित करने में जो भी काम हुए हैं जो भी यन्त्र खरीदे गये, जो भी छात्रावास बनाये गये, उसकी आज भी जरूरत है और हम उसे और अच्छा बनाने के लिए और भी अधिक धन देने का काम करने जा रहे हैं। हम डेंटल फैकल्टी को चिकित्सा विश्वविद्यालय की एक विंग के रूप में स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प हैं। हम सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह सरकार दबाव में कोई काम नहीं करती। बहन कुमारी मायावती किसी के दबाव में आने वाली नहीं हैं।

प्रदेश की जनता के हितों को देखते हुए यह सरकार काम कर रही है किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है और न ही बदले की भावना से कोई काम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय हुकुम सिंह जी कैम्पस में भ्रमण करें, डेंटल यूनिवर्सिटी को समाप्त करके पुनः मेडिकल यूनिवर्सिटी में सम्मिलित करने का पूरी तरह से वहां स्वागत हो रहा है और निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य काम है। इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम उस चिकित्सा विश्वविद्यालय को प्रदेश के बढ़िया विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करके चिकित्सीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे, हम अच्छे और योग्य चिकित्सक निकालने का काम करेंगे और जो भी कमियां रह गयी होंगी, उन्हें भी दूर करने का काम करेंगे। हमने जब मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी उस समय फैसला किया था कि छः सौ करोड़ रुपए खर्च करके सुपर स्पेसिलिटी के तमाम ऐसे विभाग वहां स्थापित करने का काम किया जाएगा लेकिन विगत साढ़े तीन वर्षो से उसे ठण्डे बस्ते में रखने का काम किया गया है। मैं सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित करने का काम करेंगे। हमने जो संकल्प लिया था एक अच्छा विश्वविद्यालय स्थापित करके जनता को अच्छी सुविधाएं देंगे, जिन विभागों के सृजन करने का हमने फैसला 2002 में लेने का काम किया था निश्चित रूप से उसे पुनः विकसित करके जो सुपर स्पेसिलिटी वहां विभाग खोले जाने थे उसको भी हम खोलने का काम करेंगे। यह जो डेंटल फैकल्टी है उसे और विकसित करने का काम हम करेंगे। यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, विशेष रूप से अपने विद्वान एवं वरिष्ठ नेता माननीय श्री हुकुम सिंह जी से कि वह अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें और इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आशंका मैंने व्यक्त की थी, लगभग उन्हीं आशंकाओं का समर्थन अपनी अलंकृत भाषा द्वारा संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है। आपने कहा है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इसको विश्वविद्यालय बनाया गया तो क्या हम समझें कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ से वंचित करने के लिए दुबारा इसे महाविद्यालय बना रहे हैं ? आप तो इसे महाविद्यालय क्या उससे भी नीचे ले जाकर फैकल्टी बना रहे हैं। प्रश्न यह है कि मान्यवर, हमारा जो निर्णय है उसके पीछे आशय क्या है ? दो शब्द अंग्रेजी के हैं सब्जेक्टीविटी और ऑब्जेक्टीविटी। बिना गुण दोष के विचार किये बिना किसी निर्णय पर पहुंचना सब्जेक्टीविटी कहलाता है। इसीलिए कहा कि प्रवर समिति बना दीजिए वह सारे तथ्यों पर विचार कर लेगी। इस सदन के सम्मानित सदस्य उसमें रहेंगें, आपकी अध्यक्षता में प्रवर समिति बनेगी। आपने सुझाया कि जा करके देख लें फैकल्टी के अन्दर क्या व्यवस्था है। प्रवर समिति का गठन करने के बाद सभी सम्मानित सदस्य इस बात पर विचार कर लेंगें सही क्या है, गलत क्या है। आपकी भी सहायता हो जायेगी, सम्पूर्ण सदन का मत आ जायेगा। सर्वसम्मति से निर्णय पर पहुंचने में आप कामयाब हो जाएं। इस कारण से मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इसको वापस ले लें। मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति का गठन करें, वह एक महीने के बजाए 15 दिन में, 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दे। इसी उपवेशन में सारी की सारी बातें आ जायेंगी। वह प्रस्ताव मंत्री जी, सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार होना चाहिए। आप एक महीने के बजाय 10 दिन कहें, 10 दिन में रिपोर्ट आ जायेगी, विचार हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2004 का निरसन आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण

2-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

3-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा-2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक को और उसी दिनांक से-

(क) किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय के चारों ओर की भूमि और प्रादेशिक हाईजीन संस्थान का भवन और जो चिकित्सा संकाय का भाग है तथा किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (जिसे आगे पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय कहा गया है) से सम्बन्धित समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, छात्रावास, फर्नीचर, फिटिंग, फिक्सचर्स, संयंत्र, मशीन, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और वाहन भी हैं, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है, को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी;

(ख) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, चाहे उन्हें राज्य सरकार के अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो, जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा धृत या उसके लेखे में कोई नकद धनराशि भी है, चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ग) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार, ऋण, कर्तव्य, दायित्व और आभार, जो पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोदभूत या उपगत हों, विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे;

(घ) किसी ऐसे इच्छापत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे धारा-2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक के पूर्व तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें दन्त विज्ञान संकाय के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा मानों पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम लिखा गया हो;

(ङ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का दन्त विज्ञान संकाय हो जायेगा;

(च) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का कोई छात्र, जो निरसन के दिनांक के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, नये विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अपना अध्ययन जारी रखेगा और उसकी तैयारी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा और नये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पा सकेगा;

(छ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी, जो पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से नियुक्त हो और निरसन के दिनांक के ठीक पूर्व उसमें सेवारत हो, विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायेगा;

(ज) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित और निरसन के दिनांक को लम्बित सभी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवृत्त हो जायेंगी।

व्यावृत्ति

4-धारा 2 के अधीन निरसन के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों निरसन अधिनियम का अधिनियमन नहीं हुआ हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2007 का निरसन

5- उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी दोनों प्रस्ताव एक साथ रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मैं अपना दूसरा प्रस्ताव मंत्री जी के प्रस्ताव के बाद में रखूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, पहली शिकायत यह है कि पहले मंत्रियों के पोर्टफोलियो होते थे उससे जानकारी हो जाती थी शक्ल से पहचान हो जाय तो कम से कम रास्ते में मिल जायं तो दुआ-सलाम तो हो जाय। मुझे यह पता है कि इसमें कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है नियमों की भी आपत्ति नहीं है लेकिन आग्रह है दीदार तो हो जाय आप लोगों को भी न जाने कितनों का दीदार नहीं हुआ होगा हम तो हैं ही महरूम। मुझे दो तीन बातें कहनी है। यह परम्परा सी बन गयी है आयोग जिसने बनाया है मैं उससे सहमत नहीं हूं अत्यन्त सावधानी के साथ स्वरूप चेंज कर दिया जाता है पहले अगर कार्यकाल तीन साल का होता है तो उसे घटाकर एक वर्ष कर दिया जाता है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह आश्वासन देंगे कि सरकार ने जो घटाकर एक वर्ष करने का संशोधन किया है उस पर वह कायम रहेगी। अब कार्यकाल बढ़ाकर तीन साल या पांच साल तक नहीं किया जायेगा। क्योंकि यह संशोधन तो आपका ही लाया हुआ है अपने संशोधन के साथ कम से कम खिलवाड़ न करें आप एक साल के आश्वासन पर कायम रहें। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान विधेयक के उद्देश्य और कारण की ओर दिलाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1994) का अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन अल्पसंख्यक आयोग का गठन एक अध्यक्ष और सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट छः सदस्यों को सम्मिलित करते हुए किया गया था। आयोग के काम काज को और अधिक गति देने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि उक्त

अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि आयोग के गठन में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों में से प्रत्येक से दो सदस्य और महिलाओं में से तीन सदस्य सम्मिलित किये जायं। यह भी विनिश्चय किया गया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया जाय। आपने 17 सदस्य कर दिए। इस अल्पसंख्यक आयोग के काम की समीक्षा हुई है ? क्या 6 सदस्य काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। दो उपाध्यक्ष बना दिए गए और लोगों को क्यों बढ़ा दिया गया। इसका कारण तो मिलना चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्यमंत्री एवं उप मंत्री का स्तर प्रदान किये जाने का काम आपने किया। वेतन और भत्ते बढ़ा दिए। 6 के बजाय आपने 11 लोगों को बढ़ा दिया। इस सरकार के खजाने पर बोझ डाला। दो उपाध्यक्ष आपने बनाए यह आपने गति देने के लिए किया। पहले 6 लोग थे उनको आपने बढ़ा दिया। आप इसको विधान सभा में लाते। आप बताते उनकी संख्या कम है काम नहीं कर पा रहे हैं। हम अल्पसंख्यक आयोग को आगे ले जाना चाहते हैं उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। इन लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि तीन सदस्य शामिल किए जाएंगे। आपने जो उद्देश्य और कारणों में लिखा है उसमें जो उल्लेख कर रहे हैं तो उसका समावेश इसमें होना चाहिए। विधेयक को पढ़ा 'उद्देश्य और कारण विधेयक में दिया गया है' अध्यादेश में लिखा है:- 2-उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम का गया है कि धारा 3 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी-इसमें है-'आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे' इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का कौन है। इन्होंने सदन और विधान मंडल के सामने लाना ठीक नहीं समझा। वरना इस तरह से एतराज न किया होता। यह हम भी जानते हैं कि यह बहुमत के आधार पर बैठे हैं इस सदन का हम भी हिस्सा हैं।

अगर कोई सरकार को कहता है तो हमें भी अच्छा लगता है। हम भी चुनकर आये हैं। हमने प्रस्ताव दिया है इसलिए प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस प्रकार का रवैया सरकार की तरफ से आ रहा है इसमें हमें विचार करने की आवश्यकता है। दो विषय विचार के हैं जिस आयोग के गठन की बात है उसके लिए क्या काम किया। जो आपने कार्यकाल को घटाने का काम किया। इन बातों पर विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हों। उनके अधिकारों के लिए उनके फायदे के लिए यह किया जा रहा है जब प्राविधान किया तो निश्चित संख्या महिलाओं की होगी। निश्चित संख्या अल्पसंख्यक की होगी उसको निकालने का कारण क्या है। अगर निकाला गया तो क्यों निकाला गया। मेरी बात में बल है यह अनिच्छा के साथ विधेयक लाया गया है। एक प्रवर समिति का गठन किया जाए, आप तीन महीने नहीं मान रहे हैं तो 15 दिन का समय ले लीजिए, यह मेरा कहना है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, जो विधेयक लाया गया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं अल्पसंख्यक आयोग जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों की समस्या सुनने के लिए बनाया गया था, इसमें पहले से जो अध्यक्ष और सदस्य थे उनके स्थान पर जो उपाध्यक्ष नामित किए गये हैं, यह कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में पहले तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इसका कार्यकाल न घटाया जाए। यदि एक साल का कार्यकाल कर दिया जायेगा तो कोई पीड़ित आदमी अगर आयोग में अपनी फरियाद लेकर जाता है, जब तक आयोग उसकी जांच करायेगा, तारीख-पेशी लगायेगा, तब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा। एक वर्ष का कार्यकाल बहुत कम होता है इसलिए इसका कार्यकाल जितना था, उतना रखा जाए। यह जल्दी में लाया गया है इसलिए उसको प्रवर समिति के हवाले कर दिया जाए और व्यापक तरीके से सोच विचार कर सदन को अवगत कराते हुए कार्यवाई की जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें बहुत छोटा सा संशोधन था और निश्चित रूप से जैसा कारण और उद्देश्य में ही बताया गया है कि इसको और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए ज्यादा सदस्य होंगे तो ज्यादा अच्छा काम हो सकेगा। समस्याएं ज्यादा आती हैं और इससे उन समस्याओं का हल ज्यादा शीघ्रता से होगा। सदस्यों की संख्या जो पहले 6 थी, उसको बढ़ाने का काम किया गया है और अध्यक्ष के साथ दो उपाध्यक्ष किए गये हैं। तो निश्चित रूप से इससे अल्पसंख्यक आयोग की गतिशीलता में और अच्छा लाभ होगा। निश्चित रूप से इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है और जहां तक सदस्यों को बनाने का सवाल है, निश्चित रूप से जब अल्पसंख्यक आयोग है तो अल्पसंख्यक समाज के सदस्य होंगे, ऐसा निश्चित रूप से होगा। इसमें किसी तरह की शंका करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत छोटा सा संशोधन है। मैं चाहता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास करें और अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह मूल अधिनियम 1994 में बना और 1994 में इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? पहली बार यह अधिनियम 1994 में बना था। चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा और उसके पढ़ने के बाद में जाहिर हो जायेगा कि यह अधिनियम बना ही इसलिए था कि उसके पहले अल्पसंख्यक आयोग केवल शासनादेश के आधार पर चल रहा था उसकी कोई संवैधानिक सेंक्टिटी नहीं थी और उसमें यह उल्लेख किया गया कि जो भी सरकार आती थी, पुराने वाले शासनादेश को समाप्त करके अपना आदेश बना देती थी, उसको समाप्त करके एक कानून बना करके, ऐक्ट बना करके इस आयोग का गठन किया गया। मान्यवर, फिर शासनादेश और अधिनियम में अन्तर क्या रह जायेगा ? अगर अधिनियम को ऐसे ही बदलते रहेंगे जैसे

शासनादेश को बदलते थे, तब उस आयोग की सेंक्टिटी नहीं रहेगी। आयोग की सेंक्टिटी बनी रहे उसकी निरन्तरता बनी रहे, तभी वह अल्पसंख्यकों की सेवा कर पायेगा। यह चार लाइन मैं पढ़ूंगा:-"स्टेटमेन्ट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स (यू0पी0 कमीशन फार माइनोरिटीज ऐक्ट, 1994) ए कमीशन फार माइनोरिटीज टू स्टडीवेरियस प्राब्लम्स एण्ड डिफिक्लटीज आफ द माइनारिटीज आफ द स्टेट एण्ड एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम वाज वर्किंग इन द स्टेट व कान्स्टीटयूशन आफ द सैड कमीशन वाज बीइंग रेग्यूलेटेड वाइ द आर्डर्स आफ द स्टेट गवर्नमेंट सिंस द कमीशन हैड नो लीगल स्टेट्स, इट्स कान्स्टीट्यूशन वाज अफेक्टेड आन एकाउन्ट आफ चेंज आफ द गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम डयू टू ह्वि द कमीशन कुड नाट फंक्शन इफैक्टिवली इट वाज, देयर फार, डिसाइडेड टू इनेक्ट ए ला टू प्रोवाइड फार द कान्स्टीट्यूशन आफ ए कमीशन फार माइनोरिटिज आन द पैर्टन आफ द नेशनल कमीशन फार माइनारिटिज ऐक्ट, 1992 इनेक्टेड वाई द गवर्नमेंट आफ इण्डिया सो दैट इट वुड वर्क इन्डिपेन्डेन्टली टू सैफ गार्ड दी इन्ट्रेस्ट्स आफ द माइनॉरिट्रिज इन द स्टेट।"

यह सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। मान्यवर, उसका सारा उद्देश्य हम लोगों ने उसमें कर दिया। आप लोग ही इसमें दोषी नहीं हैं बल्कि दोषी और भी हैं। अल्पसंख्यकों की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने के इच्छा है तो उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए। एक तरफ विधेयक बनाकर अगर उसका गठन किया जाता है तो कार्यकाल अपने विवेक से कम करके आप केवल अपनी इच्छा का आदर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2) आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे।"

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी,-

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष", जहां भी आया हो, के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(घ) उपधारा (5) में शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द "अध्यक्ष एवं सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द "अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचरियों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों और कर्मचारियों" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 16 में शब्द "अध्यक्ष या किसी सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (2) खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष और सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

8-(1) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों, पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो प्रस्ताव आपने अभी रखा है उस पर आप तकनीकी रूप में विचार कर लें। प्रस्ताव पूरी तरह नहीं रखा गया है। प्रस्ताव केवल इतना रखा गया है कि जो इसके पक्ष में हों। कृपया आप पूरा प्रश्न रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं फिर से प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मैंने यह रखा था कि यह विशेयक पारित किया जाय और उसके बाद मैंने इसे पास कराया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा। आज प्रातःकाल हमें जानकारी हुई है कि मा0 नगर विकास मंत्री जी को जल निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। खुशी की बात से दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि इसी सरकार ने नगर विकास मंत्री को अध्यक्ष बनाया और उनको बनाने के ठीक बाद आज एक ऐसे विधेयक पर विचार कर रहे हैं जहां उनके साथ तीन उपाध्यक्ष जोड़ना चाहते हैं। जितने भी आज अध्यादेश लाये गये वह किन्हीं न किन्हीं पदों पर कुछ लोगों को जोड़ने के लिए लाये गये हैं। चाहें वह अल्पसंख्यक आयोग का हो, जल सम्भरण का हो या पिछड़ा आयोग का हो। सीधी बात यह है कि अपने उन कार्यकर्ताओं को जिन्हें हम मंत्री पद या विधायक न होने के नाते अन्य पदों पर समावेशित नहीं कर पाये हैं ऐसे प्राविधानों के माध्यम से हम उनके लिए स्थान खोज रहे हैं। किसी ऐसे विभाग या किसी ऐसे निगम पर हम करते हैं, जो निगम लाभ में चलता है तो समझ में आता है। जल निगम घाटे पर चलने वाला निगम है जैसा कि मैंने पिछले तीन चार वर्षों में देखा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि निगम के कर्मचारियों की जो स्थिति है बहुत लम्बे समय तक वेतन नहीं मिल पाता था। जो साढ़े बारह प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज का पैसा इक्ट्ठा करते हैं उसके आधार पर वेतन लिया करते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे। बहुत बार हम लोगों को पैरवी करनी पड़ती है कि आखिर इन कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता, ऐसा भी आरोप लगता था कि कार्यों के लिए जो कुछ भी पैसा वह प्राप्त करते थे उस पैसे को डायवर्ट करके अपने निगम के कर्मचारियों का वेतन दिया करते थे। एक परम्परा चल गयी थी। जो काम के लिए पैसा मिलता था उसको खर्च करने के बजाय सिन्टेस से अपना वेतन देने की जगह पर काम से अपना वेतन इक्ट्ठा करके अपने कर्मचारियों को वेतन दिया करते थे। जब निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी थी जब हमने शासन का एक प्रतिनिधि उसमें बहैसियत अध्यक्ष बताया जो कि जनप्रतिनिधि हैं स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, तब सरकार को तीन उपाध्यक्ष और बिठाने की और उसी निगम की आय से उनको धन देने की या तो सरकार यह कहे कि जो तीन व्यक्ति बैटाये जा रहे हैं उनको सरकार अपने संसाधनों से धन देगी उनको फीस देगी, जो भी तनख्वाह होगी देगी, तब तो समझ में आता है। घाटे पर चलने वाले निगम का खर्चा तीन उपायध्क्षों का खर्चा किसी दल विशेष के कार्यकर्ताओं की राजनैतिक महत्वकांक्षा की पूर्ति के लिए निगम भरे, निगम घाटे पर चल रहा है उसके बावजूद भरे, इसका औचित्य समझ में नहीं आता है।

दूसरी चीज निगम और जल संस्थान को लेकर बहुत सी समस्याओं से हम लोग दो-चार हो रहे हैं, अगर इस शासन को जल सम्भरण अधिनियम में परिवर्तन करना ही था बेहतर यह रहा होता कि कुछ चुनिन्दा उपाध्यक्षों की भर्ती करने की जगह पर सरकार ने अभी अपना अध्यक्ष बनाया है बैठक हुई होती, निगम की पूरी कार्यप्रणाली पर बहस हुई होती और वस्तुतः यह जो 1974-75 का अधिनियम है यह पूरी तरह से बदलने के योग्य है, इसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया होता। क्योंकि गांव की क्या व्यवस्था होगी मालूम नहीं, शहरों की बहुत सी समस्यायें हैं, जल संस्थान, नगर निगमों के अधिकारी यहां आ जाते हैं जो कि इस प्राविधान में है। अब हैण्ड पाइप लगाने का काम निगम करता है, हैण्ड पाइप अगर घटिया लग गये उसका संचालन नहीं हो रहा है उसकी मेन्टीनेंस का काम जल-कल के हाथ में आ जाता हे। स्वाभाविक रूप से वह गलत करते हैं, काम में कमाई वह करते हैं, बोझा नगर निगम के ऊपर आता है। हमारे अपने गोरखपुर जल निगम में ढेर सारे सीपेज सिस्टम के नाले बना दिये गये, अध्यक्ष महोदय, उनमें से कुछ तो नाले ऐसे हैं जो कभी चले ही नहीं। गोरखपुर का जो उत्तरी जोन का नाला है वह कभी चला ही नहीं और चूंकि कभी इस पूरे के पूरे अधिनियम पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। निगम के अधिकारियों ने चूंकि निगम की स्वायतत्ता के नाम पर जो चाहा किया, चूंकि सरकारी नियंत्रण नहीं था इसलिए आज भी जनता की मेहनत के राजस्व के पैसे से बना हुआ वह पूरा सीपेज सिस्टम चोक पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं जल-कल और जल-निगम इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाय ? सरकार यह विचार करे कि जहां नगर निगम चलते हैं वहां जल निगम नहीं चलेगा। जल-कल ही जल-निगम का कार्य करेगा तो शायद यह व्यवस्था बहुत बेहतर हो पायी होती। क्योंकि हर काम के लिए जल-कल पैसा देता है, जल-निगम को। जल-निगम को पैसा देने

के बाद वह इन्तजार करता है कि वह काम कब करवायेगा ? और सबसे बड़ी चीज है जब उस काम पर उसका नियंत्रण, क्योंकि हम लोगों ने स्वयं देखा है, गोरखपुर में पेयजल की समस्या थी, ट्यूबवेलों की रिबोरिंग के लिए पैसा देने के बाद जल-कल के अधिकारियों को महीना-महीना तक जल-निगम के अधिकारियों का इन्तजार करना पड़ता है। एक-एक नाले को बनवाने के लिए, नाला का पैसा ट्रान्सफर करने के बावजूद जल-निगम के अधिकारी उसको तीव्रता के साथ नहीं बनाते क्योंकि नगर-निगमों का उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। तो बेहतर तो यह रहा होता कि अधिनियम लाने के पहले इस अधिनियम की पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करके किस प्रकार से हम महानगरों की व्यवस्था को बेहतर कर सके इसके अनुरूप अधिनियम में परिवर्तन किया गया होता। ऐसा करने की जगह पर सिर्फ कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बहैसियत उपाध्यक्ष बैठाया जाय उनको कुछ धन मिले, वह धन जल-निगम के मेहनतकश कर्मचरियों की तनख्वाह के हिस्से में से निकले इसके लिए अधिनियम प्रस्तुत किया गया। मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं इस पर विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा, मुझे एक आवश्यक बात इसलिए कहनी थी कि विधान मण्डलों की जो उपेक्षा पिछले दिनों से शुरू हुई है वह क्रमशः बढ़ती चली जा रही है और धीरे-धीरे जब यहां एक सदस्य कहता है कि साहब हमारी उपेक्षा हो गयी, कलेक्टर ने हमारी नहीं सुना, कप्तान हमारा अपमान करता है, वह महज इन कारणों से नहीं होता मान्यवर, कि एक घटना हुई थी, ये घटनायें, इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सभी माननीय मंत्रिगण से अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले भी कई अवसर ऐसे आये हैं जब माननीय मंत्रिगण द्वारा विधेयकों को प्रस्तुत किया जाना था या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए सूचनायें दी गयी थीं। उन चर्चाओं का प्रतिफल तभी है जब उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जो आरोप हैं उन आरोपों को ठीक से सुनकर उनका उपचार किया जा सके। इस कारण से यह जो विधेयक है तो उस विधेयक से सम्बन्धित जो भारसाधक मंत्री हैं तथा जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके सदन में और दीर्घाओं में बैठने की परम्परा रही है। लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा रखी जा रही है, तीन विधेयक रखे गये लेकिन उस विधेयक के मंत्री नहीं हैं। ठीक है यह एक शुरुआत है। लेकिन बिना किसी आक्षेप के यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह के निर्देश जारी किये जायें कि कम से कम इस सदन में सदस्यगण जिस विधेयक से सम्बन्धित जो बात कहते हैं जो सुझाव आते हैं और साथ ही साथ मंत्रीगण जो आश्वासन देते हैं, तो उसमें आश्वासन की किताब में या उसकी प्रक्रिया में जाने के बजाय उसे दीर्घा में बैठकर नोट करने का काम करें ताकि उस पर तेजी से अमल हो सके और सख्ती से निर्देश जारी करने का काम हो सके। मैंने सुझाव के तौर पर एक बात कही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मान्यवर, इस विधेयक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत जल्दबाजी में लाया गया है यह मुनासिब नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो सुझाव दिया है, मैं उसे गम्भीरता से लेता हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि आगे जो भी विधेयक सदन में आयेंगे पूरी तैयारी के साथ आयेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ सम्बन्धित लोगों को निर्देशित करेंगे कि वह उपस्थित रहें। अधिकारी उपस्थित रहें, यह निर्देश आज ही दे देंगे। यह विधेयक मान्यवर इसलिए लाया गया है कि बढ़िया ढंग से सभी व्यवस्थायें संचालित हों। इसमें अध्यक्ष को सहयोग करने के लिए तीन उपाध्यक्ष बनाने की बात है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, यह तीन की संख्या बढ़ाकर पांच कर दी जाय। मंत्री जी सहमत भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्यों तीन-पांच करते हो ? (हंसी)

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, पिछले एक माह से मैं पूरे प्रदेश में विभिन्न गांवों में व शहरों में जाकर दौरा कर रहा था। और वास्तव में जो जल की समस्या उत्पन्न है लोगों के बीच में, चाहे वह हैण्ड पम्प के माध्यम से, चाहे वह ट्यूबवेल के माध्यम से उसके सम्बन्ध में पूरे के पूरे संसाधन उपलब्ध करवा रहा हूं। पानी की जो समस्या है इसका विस्तृत अध्ययन हमने किया है। अध्ययन करने के पश्चात् पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि सारी सुविधायें, सारी व्यवस्थायें होने के बाद भी कुछ तत्वों के द्वारा यह बाधायें उत्पन्न की जा रही हैं। इन बाधाओं के कारण, सरकार द्वारा जो सुविधायें मुहैय्या करायी जाती हैं वह लोगों को पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करके यह निर्णय लिया कि ऐसे उपाध्यक्षों को मनोनीत कर दिया जाय जो विभिन्न क्षेत्रों में गांवों में दौरा करके चाहे वह नलकूप की बात हो चाहे हैण्ड पम्प की बात हो, शहरों में कूड़ा हटाने की बात हो, मान्यवर, अकेले नकुल दुबे तो अध्यक्ष के रूप में सभी व्यवस्थाओं को जा-जा कर देख पाने में सक्षम नहीं है इसलिए मेरे साथ तीन लोगों को जोड़कर इस समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप लोगों का इसमें सहयोग मिले ताकि पूरे प्रदेश में यह व्यवस्थायें सही ढंग से लागू हो सकें। मैं अनुरोध करता हूं कि यह संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो सीवर लाइन बनने के लिए अधूरे पड़े हैं ट्रीटमेंट प्लान्ट लगने हैं तो क्या उन सीवर लाइनों के कार्य को पूरा करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वह सब कार्य जल्दी कराने के लिए वह अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो लाइन अधूरी पड़ी है उसको पूरा करा देंगे उसमें से एक शाहजहांपुर है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सब समस्याएं हैं उसको दिखवा रहे हैं।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क क) राज्य सरकार में सामाजिक एवं लोक जीवन में विशिष्ट ख्याति प्राप्ति तीन से अनधिक गैर सरकारी व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।"

धारा 6 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2-क) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क क) के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनः नाम-निर्देशन के लिए पात्र होगा।"

धारा 7 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में शब्द "खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन" के स्थान पर शब्द "खण्ड (क), (क क) तथा (ख) के अधीन" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 7-क का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम की धारा-7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"7-क-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, अध्यक्ष के समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग, कर्तव्यों का निर्वहन, या कृत्यों का सम्पादन ऐसे उपाध्यक्ष द्वारा, जैसा अध्यक्ष द्वारा, आदेश में यथाविहित, निगम के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाय, बिना शर्त या अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति सहित ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, किया जायेगा। तथापि इस प्रकार प्राधिकृत उपाध्यक्ष, निगम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में, अपना पद निगम के अन्तिम नियंत्रण एवं निदेश के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में धारण करेगा।"

निरसन और अपवाद

6-(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 जून, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की जनपद झांसी स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल की बन्दी तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं वेतन आदि अन्य बकायों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थानाध्यक्ष द्वारा गणमान्य नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर के नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र तथा कतिपय अन्य चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का बकाया तथा गन्ना मूल्य का कई वर्षों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की कमी से जनसामान्य को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद के बारा क्षेत्रान्तर्गत नहरों में पानी की कमी से किसानों को हो रही गम्भीर कठिनाइयों के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री बृजेश सौरभ की प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु प्रदत्त धनराशि को बढ़ाये जाने तथा गरीबी के मानक के अन्तर्गत आने वाली अन्य जातियों की कन्याओं को भी लाभार्थी श्रेणी में रखे जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील के ग्राम पूरे मातादीन पाण्डेय के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की

वाराणसी महानगर में शहर दक्षिणी क्षेत्रान्तर्गत 2 मार्गों के सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की राजस्थान-उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले आगरा-शमसाबाद राजा-खेड़ा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं। श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री लालजी यादव, श्रीमती कृष्णा राज, श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री मदन चौहान, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री अरविन्द सिंह, श्री आरिफ अनवर हाशमी, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, हाजी जमीरउल्ला खां, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री अशोक कुमार सिंह चौहान, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री राम किशुन, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, श्री सुखलाल, श्री पंकज कुमार मलिक, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सनातन पाण्डेय, डा0 पी0 के0 राय तथा श्री बृजेश सौरभ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपरान्ह 3 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 28 जून, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 261 विधान सभा (478)-1-10-2007-813 (कम्प्यूटर/आफसेट।)